V सहकारी बैंकिंग गतिविधियां

ऋण देने में हुई बढ़ोत्तरी का वित्तपोषण जमाराशि में हुई सुदृढ़ वृद्धि से किया गया, जिसकी बदौलत 2018-19 में शहरी सहकारी बैंकों के समेकित तुलन पत्र में मामूली विस्तार हुआ। इनकी आस्तियों की गुणवत्ता और प्रावधानों में सुधार होने के बावजूद ब्याज से होने वाली आय में आई गिरावट ने लाभप्रदता को बुरी तरह प्रभावित किया। अनर्जक आस्तियों के बढ़ने और लाभप्रदता घटने के कारण अल्पावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं में, राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय सेहत कमजोर हुई। दीर्घावधि सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ता संकेतक अभी भी नाजुक बने हुए हैं।

1. परिचय

V.1 समाज के सबसे बड़े तबके के जीवन और व्यवहार में 'जमीनी स्तर पर' समाहित होते हुए भारत में सहकारी बैंकों को विकास संबंधी लक्ष्य सौंपा गया है, जिसमें वित्तीय समावेशन का अत्यंत महत्त्व है। इन संस्थाओं ने अपनी भौगोलिक और जनसांख्यिकीय पहुंच के माध्यम से इस देश के कोने-कोने के अंतिम छोर तक ऋण उपलब्ध कराने और वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

V.2 मार्च 2019 के अंत में क्रेडिट सहकारी संस्थाओं में 1,544 शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) और 96,248 ग्रामीण सहकारी बैंक (मार्च 2018[1] के अंत तक) शामिल थे और सहकारी बैंकों की कुल आस्तियों में से 64.7 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण सहकारी बैंकों का था (चार्ट V.1)।

V.3 यूसीबी और ग्रामीण सहकारी संस्थाओं में, राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) व जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) संबंधित राज्य की सहकारी सोसाइटी अधिनियम

चार्टV.1: आस्ति आकार के आधार पर सहकारी संस्थाओं की संरचना

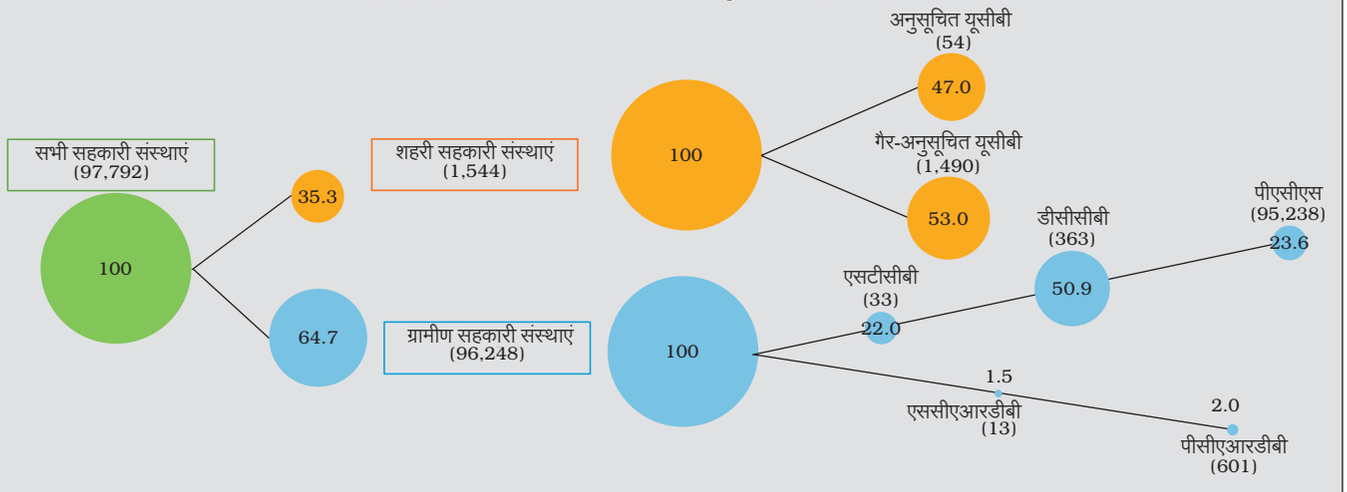

टिप्पणियां : 1. आंकड़े प्रतिशत में है और बुलबुले का आकार आस्तियों के आकार के समानुपाती है।
2. एसटीसीबी: राज्य सहकारी बैंक; डीसीसीबी: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक; पीएसीएस: प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी; एससीएआरडीबी: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक; पीसीएआरडीबी: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।
3. कोष्ठकों में दिए आंकड़े निम्नलिखित संस्थाओं की संख्या को दर्शाते हैं - मार्च 2019 के अंत में यूसीबी को और मार्च 2018 के अंत में ग्रामीण सहकारी संस्थाओं को। 54 अनुसूचित यूसीबी में से 34 बहु-राज्यी हैं और 20 एकल- राज्यी हैं। 1,490 गैर-अनुसूचित यूसीबी में से 24 बहु-राज्यी हैं और 1,466 एकल- राज्यी हैं।

[1] ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के उपलब्ध आंकड़े एक वर्ष के अंतराल के हैं और नवीनतम डेटा 2017-18 के हैं।

के अंतर्गत अथवा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत किसी एक में पंजीकृत हैं। 1 मार्च 1966 से सहकारी समितियों में बैंकिंग कानून लागू किए गए थे। वर्तमान में एसटीसीबी / डीसीसीबी / यूसीबी पर सहकारी समिति पंजीयक (आरसीएस) अथवा सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) और रिज़र्व बैंक का दोहरा नियंत्रण है। जहां आरसीएस / सीआरसीएस के अधिदेश में निगमन, पंजीकरण, प्रबंधन, वसूली, लेखा परीक्षा, निदेशक मंडल का अधिक्रमण और परिसमापन शामिल हैं, वहीं रिज़र्व बैंक के पास विनियामकीय कार्य है। रिज़र्व बैंक को यूसीबी के पर्यवेक्षण, पूंजी पर्याप्तता हेतु विवेकपूर्ण मानदंडों के विवरणों का निर्धारण, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान, चलनिधि आवश्यकताओं और एकल/सामूहिक एक्सपोज़र मानदंड़ों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त, यह कर्मचारियों के क्षमता निर्माण में भी मदद करता है और यूसीबी में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यान्वयन में सहायता करता है।

V.4 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी (पीएसीएस) और दीर्घावधि सहकारी बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के दायरे से बाहर हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 35 (6) के तहत नाबार्ड को एसटीसीबी और डीसीसीबी के निरीक्षण का अधिकार दिया गया है। नाबार्ड राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) का भी स्वैच्छिक निरीक्षण करता है।

V.5 भारत में इन सहकारी संस्थाओं का विकास बैंकिंग क्षेत्र की अन्य संस्थाओं के अनुरूप नहीं हुआ है। मार्च 2018 के अंत में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की कुल आस्तियों में शहरी और ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की समेकित आस्तियां 2004-2005 के 19.4 प्रतिशत से घटकर 10.6 प्रतिशत रह गईं। विभिन्न परिचालनगत तथा अभिशासन संबंधी अवरोधों ने इनके कार्यनिष्पादन को बाधित किया है जिससे इनकी वृद्धि में रुकावट आई है।

V.6 इस परिवेश में, इस अध्याय के शेष पाँच खंडों में शहरी सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण क्रेडिट सहकारी संस्थाओं के कार्यनिष्पादन को परखा गया है। खंड 2 यूसीबी की गतिविधियों के वित्तीय कार्यनिष्पादन और आस्ति गुणवत्ता की दृष्टि से व्याख्या करता है। खंड 3 राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी), जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) और पीएसीएस के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है। दीर्घावधि सहकारी संस्थाएं, रिज़र्व बैंक के विनियामकीय क्षेत्र के बाहर हैं इसके बावजूद खंड 4 में उनका संक्षिप्त परिचय दिया गया है। खंड 5 कुछ समग्र परिदृश्य के साथ समाप्त होता है। तुलन पत्र, वित्तीय कार्यनिष्पादन संकेतक, आस्ति गुणवत्ता और अन्य प्रमुख संकेतकों पर विस्तृत सारणियां परिशिष्ट में दी गई हैं।

2. शहरी सहकारी बैंक

V.7 यूसीबी की संख्या ज्यादा होने के बावजूद एससीबी की कुल आस्तियों में उनका हिस्सा 3.6 प्रतिशत है। उनमें से अधिकतर एकल शाखा संस्थाएं हैं जिनके पास पूंजी जुटाने के कम अवसर होते हैं। सफल अंतरराष्ट्रीय सहकारी मॉडल चलनिधि और पूंजी सहायता जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हुए सहकारी संस्थाओं के कार्यनिष्पादन को मजबूत बनाने में छत्र संगठन की भूमिका पर प्रकाश डालता है (बॉक्स V.1)।

V.8 एक उदार लाइसेंसिंग नीति की बदौलत, यूसीबी की संख्या और आस्ति के आकार में 1991-2004 के दौरान अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। तत्पश्चात, यह विस्तार अस्थिर हो गया और उनमें से कुछ समय के साथ-साथ कमजोर और अलाभकारी हो गए। रिज़र्व बैंक के विज़न डॉक्यूमेंट 2005 ने, मजबूत यूसीबी में कमजोर यूसीबी का विलय करने एवं अलाभकारी यूसीबी जो

बॉक्स V.1: सहकारी बैंक : विभिन्न देशों की तुलना

वित्तीय सहकारी (एफसी) संस्थाओं, जिनका उत्थान 19वीं सदी में हुआ, की स्थापना का उद्देश्य बैंक की सुविधाओं से रहित लोगों को सभी क्षेत्रों में किफायती ऋण देना था। एफसी में क्रेडिट यूनियन की सेवाएं केवल उन सदस्यों के लिए ही हैं, जो समान व्यवसाय, उद्यम प्रवृति या कुछ मामलों में केवल अपनी समान जगह ही साझा करते हैं। इसके विपरीत, सहकारी बैंक गैर-सदस्यों को भी सेवाएं प्रदान करते हैं (बिरचल, 2013)।

जहां जमा लेने और उधार देने के सामान्य व्यापार मॉडल पर आधारित सहकारी संस्थाएं विद्यमान हैं, वहीं अन्य स्थानों पर, जैसे यूरोप में, ये अपने संसाधनों को समेकित कर एक परिसंघ का निर्माण करता है और कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं (उदाहरणार्थ, नीदरलैंड में रेबोबैंक ग्रुप, फ्रांस में क्रेडिट एग्रीकोल ग्रुप और फिनलैंड में ऑप- पोहजोला ग्रुप)।

विनियमन और पर्यवेक्षण

एफसी का पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क समय के साथ-साथ विकसित हुआ है और अलग-अलग देशों में यह भिन्न-भिन्न रूप में है। फ्रांस में, इनका विनियमन और पर्यवेक्षण वाणिज्यिक बैंकों के समतुल्य है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड के सदस्यों को हटाना और अस्थायी प्रशासकों को नियुक्त करने का अधिकार शामिल है। अमेरिका में, मध्यवर्ती सहकारी बैंक का विनियमन राष्ट्रीय क्रेडिट यूनियन प्रशासन (एनसीयूए) द्वारा किया जाता है और वह दिवालिये के जोखिम की स्थिति में एफसी का विलय करने का अधिकार रखता है। दूसरी ओर, भारतीय सहकारी संस्थाओं को दोहरे विनियमन की समस्या से जूझना पड़ता है, जहां उनकी बैंकिंग-संबंधी गतिविधियों का विनियमन आरबीआई द्वारा किया जाता है और प्रबंधन-संबंधी गतिविधियां संबंधित राज्य / केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं। साथ ही, फ्रांस के विपरीत, सहकारी बैंकों का नियंत्रण वाणिज्यिक बैंकों के समतुल्य नहीं है। यह व्यवस्था सहकारी बैंकों पर रिज़र्व बैंक के प्रभावी विनियामक नियंत्रण में बाधा डालती है।

बाजार में हिस्सेदारी और ऋण वितरण में भूमिका

आस्ति के आकार के संदर्भ में बाजार में एफसी की हिस्सेदारी में काफी अंतर है, जो ब्राज़ील में 0.03 प्रतिशत से फ्रांस में 47 प्रतिशत तक है। भारत में, वर्ष 2017-18 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल आस्तियों में क्रेडिट सहकारी संस्थाओं (जिसमें शहरी और ग्रामीण सहकारी संस्थाएं शामिल हैं) का दसवां हिस्सा है। इसके अलावा, फ्रांस में तीन बड़े सहकारी बैंकिंग समूह द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम वित्तीय प्रणाली[2] के कुल ऋणों का 51 प्रतिशत है (चार्ट 1)।

संयुक्त राज्य (यूएस), फ्रांस, नीदरलैंड जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, एफसी खुदरा बैंकिंग और लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई)[3] को ऋण प्रदान करने को लेकर वाणिज्यिक बैंकों के साथ होड़ में लगे हैं। नीदरलैंड के रेबोबैंक द्वारा एसएमई को दिए गए ऋण का बाजार अंश 39.6 प्रतिशत है, जबकि फ्रांस के क्रेडिट एग्रीकोल ग्रुप का बाजार अंश 34 प्रतिशत[4] है। तुलनात्मक रूप से, 2018-19 में भारत के शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रदत्त ऋण वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदत्त कुल ऋण का 14.5 प्रतिशत है। एफसी ने 2007-08 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान उल्लेखनीय आघातसहनीयता का प्रदर्शन किया और वाणिज्यिक बैंकों से बेहतर कार्य किया और एसएमई को ऋण देना जारी रखा (बिरचल, 2013)।

छत्र संगठन

सहकारी बैंकों का व्यावसायिक मॉडल कुछ इस तरह का है कि पूंजी जुटाने की उनकी क्षमता सीमित है, क्योंकि वे केवल सदस्य के शेयर एवं प्रतिधारित आय से ही संसाधन जुटा सकते हैं। साथ ही, एफसी अपने सीमित आकार के कारण नवीनतम बैंकिंग प्रौद्योगिकी अपनाने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। कुछ हद तक, एफसी जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें छत्र संगठनों के होने से दूर किए जा सकते हैं, और वे शीर्ष स्तर की संस्था या एक अलग संस्था के रूप में हो सकते हैं जहां क्रेडिट यूनियन उसके सदस्य होते हैं।

चार्ट 1: वित्तीय सहकारी संस्थाओं का बाजार में हिस्सा*

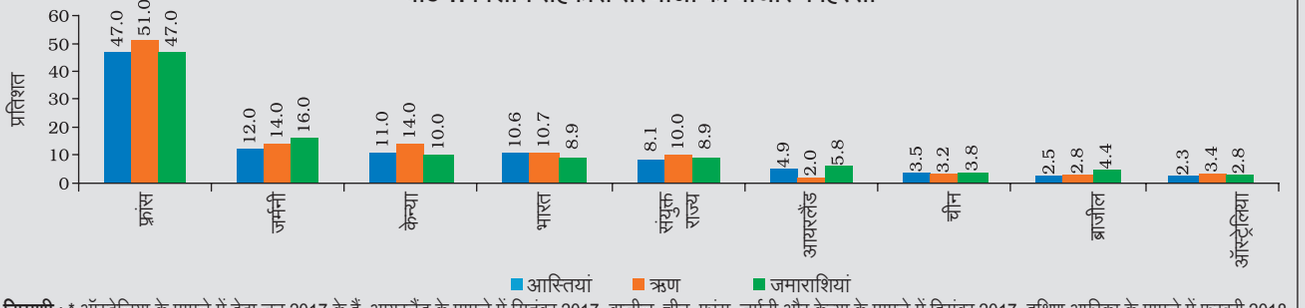

टिप्पणी : * ऑस्ट्रेलिया के मामले में डेटा जून 2017 के हैं, आयरलैंड के मामले में सितंबर 2017, ब्राजील, चीन, फ्रांस, जर्मनी और केन्या के मामले में दिसंबर 2017, दक्षिण अफ्रीका के मामले में फरवरी 2018 और संयुक्त राज्य के मामले में मार्च 2018 के हैं। भारत के मामले में, मार्च 2018 के अंत की स्थिति के अनुसार शहरी और ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के डेटा शामिल हैं।

स्रोत : कोएल्हो, आर., जे.ए. मज़ीलो, जे.पी. सोवोर्नोस और टी. यू (2019). *रेग्युलेशन एंड सुपरविशन ऑफ फाइनेंशियल को-ऑपरेटिव्स,* अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) एंड आरबीआई।

[2] स्रोत : नीति कार्यान्वयन संख्या 15 पर एफएसआई अंतर्दृष्टि।

[3] लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा विभिन्न क्षेत्राधिकारों में भिन्न-भिन्न होती है।

[4] स्रोत : सहकारी बैंकों का यूरोपीय संघ : मुख्य आँकड़े - वित्तीय संकेतक 2018.

कुछ देशों में, शीर्ष केंद्रीय संस्था (छत्र संगठन) अपने सदस्य बैंकों को सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं और इनकी गतिविधियों को विनियमित करती हैं। सभी स्थानीय सहकारी बैंक इस शीर्ष संस्था के सदस्य होते हैं और इन्हें "एक सदस्य एक वोट" प्रणाली के आधार पर वोटिंग अधिकार मिलता है। ये शीर्ष संस्थाएं, सहकारी संस्थाओं की विशिष्टताओं को बनाए रखते हुए, पूंजी बाजार में अपनी योग्यता के माध्यम से आधार स्तर पर वित्तीय सहकारी संस्थाओं को संसाधन/पूंजी उपलब्ध कराता है। शीर्ष बैंक के अंतर्गत सदस्य सहकारी संस्थाएं वित्तीय तंगी के समय में एक-दूसरे को आपसी सहयोग उपलब्ध करने के लिए भी सहमत होती हैं।

इस प्रणाली की बदौलत क्षेत्र में स्व-विनियमन और बेहतर कॉर्पोरेट अभिशासन भी संभव है। फ्रांस के क्रेडिट एग्रीकोल ग्रुप में एक ऐसी आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था है जो सभी सदस्य सहकारी बैंकों को शामिल करती है और उनमें निर्देश जारी करने तथा उनसे संबद्ध दो या दो से अधिक संस्थाओं का विलय करने का अधिकार भी निहित है। इसी तरह, नीदरलैंड में रेबोबैंक ग्रुप स्थानीय सहकारी बैंकों की वित्तीय सेहत और व्यावसायिकता के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताता है कि छत्र मॉडल (जैसे कि, सहकारी संस्थाओं का यूरोपीय मॉडल) की उपस्थिति आपसी सहयोग व्यवस्था जैसे, अन्य के साथ-साथ एक-दूसरे के प्रति कानूनी रूप से बाध्यकारी गारंटी, चलनिधि सहायता उपलब्ध कराती है और इस प्रकार प्रणाली को मजबूती प्रदान करती है। इस महत्वपूर्ण भूमिका के आधार पर रिज़र्व बैंक की कई समितियों[5] ने ऐसी संरचना की स्थापना की अनुशंसा की है। तदनुसार, 06 जून 2019 को जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-एनडी) के रूप में छत्र संगठन की स्थापना के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंक एवं क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड का राष्ट्रीय परिसंघ (एनएएफसीयूबी) को विनियामक अनुमोदन प्रदान किया गया।

संदर्भ:

बिरचल, जे. (2013)। रिज़िलीअन्स इन ए डाउनटर्न: द पावर ऑफ फाइनेंशियल को-ऑपरेटिव्स। *जेनेवा : अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय।*

कोएल्हो, आर., जे.ए. मज़ीलो, जे.पी. सोवोर्नोस और टी. यू (2019). रेग्युलेशन एंड सुपरविशन ऑफ फाइनेंशियल को-ऑपरेटिव्स, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस)।

सहकारी बैंकों का यूरोपीय संघ (ईएसीबी)। मुख्य आँकड़े - वित्तीय संकेतक 2018.

भारतीय रिज़र्व बैंक (2009). रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन अम्ब्रेल्ला ऑरगनाइजेशन एंड कान्स्टिट्यूशन ऑफ रिवायवल फंड फॉर प्राइमरी (अर्बन) को-ऑपरेटिव बैंक।

आज समेकन की स्थिति में हैं, को बंद करने के साथ ही यूसीबी को सहारा प्रदान करने के लिए बहुस्तरीय दृष्टिकोण अपनाया है (चार्ट V.2)।

V.9 महाराष्ट्र में सबसे अधिक विलय देखा गया, जहां यूसीबी की संख्या सभी राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है (चार्ट V.3)।

V.10 तथापि, यूसीबी की संख्या में गिरावट के बावजूद उनका संयुक्त आस्ति आकार लगातार बढ़ा है (चार्ट V.4)।

V.11 यूसीबी को उनके जमाकर्ता बेस[6] के आधार पर विनियामकीय प्रयोजन से टिअर-I और टिअर-II श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। टिअर I समकक्षों की अपेक्षा टिअर II यूसीबी का वृहत जमाकर्ता बेस एवं व्यापक भौगोलिक मौजूदगी

चार्ट V.2: यूसीबी की संख्या

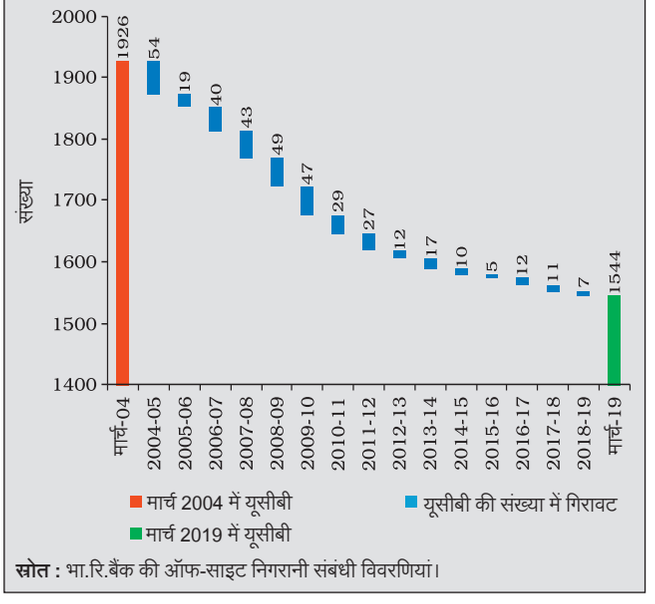

स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

[5] यूसीबी की पूंजी में वृद्धि करने से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए कार्य दल, 2006 (अध्यक्ष : एन.एस. विश्वनाथन) देखें; छत्र संगठन और शहरी सहकारी बैंकों के लिए पुनरुद्धार निधि के गठन के लिए कार्य दल, 2008 (अध्यक्ष : वी.एस. दास); नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में विशेषज्ञ समिति, 2011 (अध्यक्ष : वाई.एच. मालेगाम); शहरी सहकारी बैंकों पर उच्च स्तरीय समिति, 2015 (अध्यक्ष : आर. गांधी)।

[6] यूसीबी टिअर - I को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: क) जमाराशि आधार ₹100 करोड़ से कम होने के साथ एक ही जिले में परिचालन हो, या जमाराशि आधार ₹100 करोड़ से कम हो और परिचालन एक से अधिक जिलों में हो, बशर्ते बैंक की शाखाए निकटवर्ती जिलों में हों और एक जिले में शाखाओं की जमाराशियां एवं अग्रिम राशियां क्रमश: कुल जमाराशियों और अग्रिमों का कम से कम 95 प्रतिशत हों; ख) शाखाएं मूलत: एक ही जिले में हों एवं जिले के पनुर्गठन के कारण उनके परिचालन एक से अधिक जिलों में हो जाते हों और जमाराशि आधार ₹100 करोड़ से कम हो। अन्य सभी यूसीबी को टिअर-II यूसीबी के रूप में परिभाषित किया जाता है।

चार्ट V.3: यूसीबी का विलय
(संचयी: 2004 से 2019)

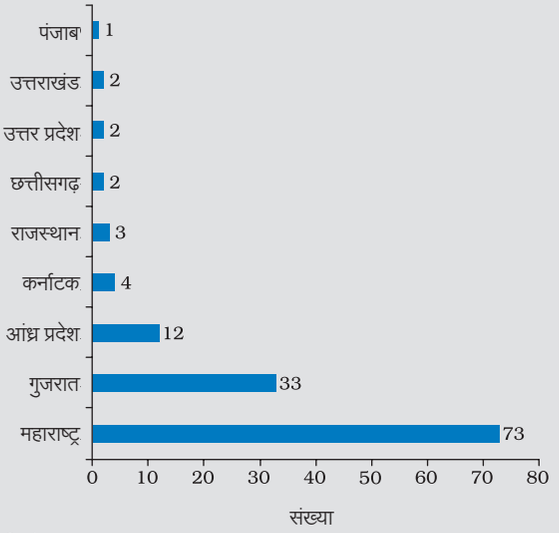

स्रोत : भा.रि. बैंक।

चार्ट V.4: यूसीबी: समेकन और आस्तियों का आकार

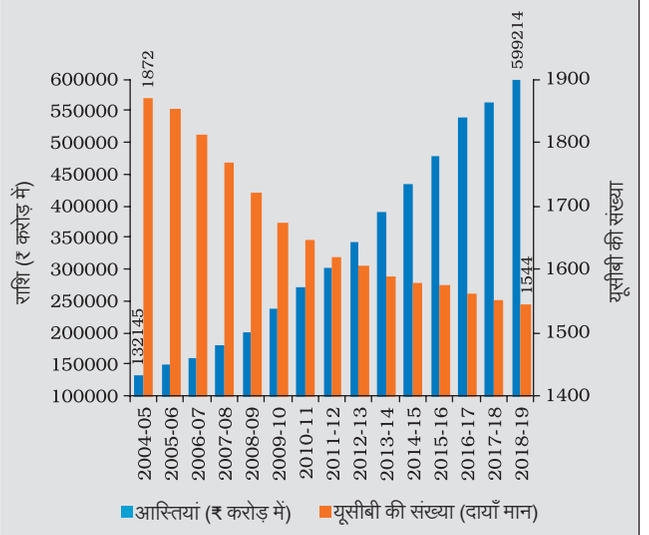

टिप्पणी : 2018-19 की आस्तियों के आकार के आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : भा.रि. बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

है। वर्ष 2018-19 के दौरान, टिअर II यूसीबी की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है (सारणी V.1)।

2.1 तुलन पत्र

V.12 यूसीबी के समेकित तुलन पत्र में दृढ़ विस्तार देखा गया जो उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए किए गए उपायों की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है। तथापि, हाल के वर्षों में यूसीबी की आस्तियों की वृद्धि मंद पड़ गई है (चार्ट V.5)।

V.13 वर्ष 2014-15 में, यूसीबी का वितरण द्विबहुलक (बाई-मोडल) हो गया, जिसमें दो आस्ति वर्गों में संकेंद्रण रहा यथा ₹25 करोड़ से ₹50 करोड़ और ₹100 करोड़ से ₹250 करोड़। हालांकि, 2016-17 से यह वितरण यूनि-मॉडल हो गया है जिसमें सबसे बड़ी आवृत्ति (फ्रिक्वेंसी) ₹100 करोड़ से ₹250 करोड़ के आस्ति वर्ग में है। इसके अलावा, यूसीबी की ₹1,000 करोड़ से अधिक आस्तियों का हिस्सा 2014-15 के 4.6 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 6.5 प्रतिशत होने के कारण वितरण में दाईं ओर झुकाव (राइटवार्ड शिफ्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन) हुआ (चार्ट V.6)।

V.14 जमाराशियों में, जो यूसीबी के संसाधन आधार[7] का 89.5 प्रतिशत है, गत वर्ष में गिरावट के बाद 2018-19 के

सारणी V.1: शहरी सहकारी बैंकों का टिअर-वार वितरण
(मार्च 2019 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

टिअर का प्रकार	बैंकों की संख्या		जमाराशियाँ		अग्रिम		कुल आस्तियां	
	संख्या	कुल में %	राशि	कुल में %	राशि	कुल में %	राशि	कुल में %
टिअर I यूसीबी	917	59.4	43,588	9.0	25,076	8.3	54,591	9.1
टिअर II यूसीबी	627	40.6	4,40,728	91.0	2,77,942	91.7	5,44,622	90.9
सभी यूसीबी	**1,544**	**100.0**	**4,84,316**	**100.0**	**3,03,018**	**100.0**	**5,99,214**	**100.0**

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

[7] संसाधन आधार में पूंजी, आरक्षित निधि, जमाराशियां और उधारियां शामिल हैं।

चार्ट V.5: यूसीबी की आस्ति में वृद्धि

स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

चार्ट V.6: आस्ति के आकार के अनुसार यूसीबी का वितरण
(मार्च अंत में)

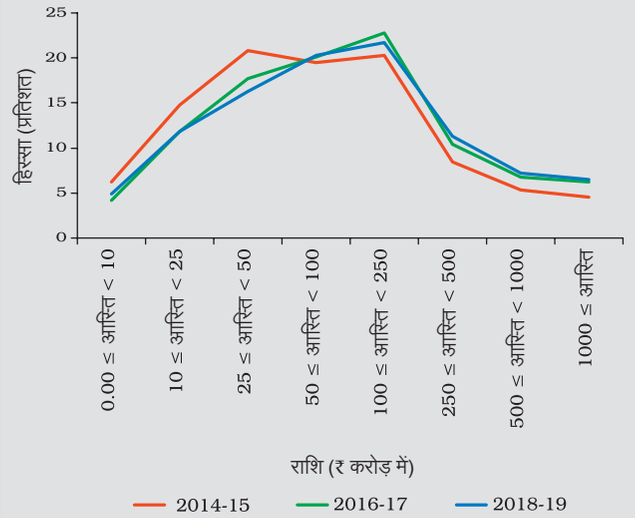

स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

दौरान वृद्धि हुई (चार्ट V.7)। फिर भी, यूसीबी की जमाराशि वृद्धि 2007-08 से 2016-17 के दौरान के 13.9 प्रतिशत के औसत से काफी नीचे रहती है।

V.15 वर्ष 2017-18 के दौरान जमाराशि की वृद्धि में कमी के चलते, दिए जाने वाले ऋण के वित्तपोषण के लिए ली गई उधारियों की मात्रा बहुत बढ़ गई। वर्ष 2018-19 में जमाराशि वृद्धि में तेजी आने से ऋण और अग्रिमों में हुई बढ़ोतरी के चलते उधारियों के बढ़ने का क्रम उलट गया (सारणी V.2)।

चार्ट V.7: जमाराशियां: यूसीबी *बनाम* एससीबी

स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

V.16 मार्च 2008 के अंत में ₹10 करोड़ तक के जमा आधार वाले यूसीबी मॉडल श्रेणी बन गए थे, तथापि, मार्च 2019 के अंत में ₹100 करोड़ से ₹250 करोड़ ब्रैकेट वाले यूसीबी मॉडल श्रेणी बन गए हैं। (सारणी V.3 और चार्ट V.8ए)। इससे यह पता चलता है कि प्रति खाता औसत जमा में वृद्धि के साथ-साथ यूसीबी के ग्राहक आधार में भी वृद्धि हुई है।

V.17 इसके विपरीत, ₹10 करोड़ से ₹25 करोड़ के दायरे में आने वाले यूसीबी के अग्रिम 2018-19 के दौरान मॉडल श्रेणी के रूप में थे (चार्ट V.8बी)।

V.18 वर्ष 2015 के बाद से, एससीबी पर लागू निर्धारित दरों के अनुरूप यूसीबी की एसएलआर अपेक्षाओं को उत्तरोत्तर रूप से कम किया गया है। इसके अलावा, चूंकि यूसीबी पर बासेल I विनियामक मानदंड लागू होते हैं, चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) अपेक्षाएं उन पर लागू नहीं हैं। चूंकी एसएलआर निवेश, जिसका कुल निवेश में 88.9 प्रतिशत

सारणी V.2: शहरी सहकारी बैंकों की देयताएँ और आस्तियां
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

आस्तियां/देयताएं	अनुसूचित यूसीबी		गैर- अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी		वृद्धि दर (%) सभी यूसीबी	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देयताएं								
1. पूंजी	4,118	4,348	8,852	9,235	12,970	13,583	7.1	4.7
	(1.6)	(1.5)	(3.0)	(2.9)	(2.3)	(2.3)		
2. आरक्षित निधि	16,663	18,447	18,626	19,342	35,288	37,789	5.5	7.1
	(6.3)	(6.5)	(6.2)	(6.2)	(6.3)	(6.3)		
3. जमा	2,12,041	2,25,688	2,44,466	2,58,628	4,56,507	4,84,316	2.9	6.1
	(80.1)	(79.2)	(81.9)	(82.3)	(81.0)	(80.8)		
4. उधारियां	4,628	4,908	367	333	4,995	5,241	41.6	4.9
	(1.7)	(1.7)	(0.1)	(0.1)	(0.9)	(0.9)		
5. अन्य देयताएं	27,308	31,538	26,183	26,747	53,491	58,285	12.8	9.0
	(10.3)	(11.1)	(8.8)	(8.5)	(9.5)	(9.7)		
आस्तियां								
1. उपलब्ध नकदी	1,482	1,342	3,982	4,046	5,464	5,388	21.7	-1.4
	(0.6)	(0.5)	(1.3)	(1.3)	(1.0)	(0.9)		
2. आरबीआई में शेष जमाराशि	10,360	11,080	2,144	2,699	12,503	13,779	8.9	10.2
	(3.9)	(3.9)	(0.7)	(0.9)	(2.2)	(2.3)		
3. बैंको में शेष जमाराशि	16,155	17,065	46,813	43,780	62,968	60,845	3.6	-3.4
	(6.1)	(6.0)	(15.7)	(13.9)	(11.2)	(10.2)		
4. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	3,081	4,291	1,381	1,580	4,462	5,871	-11.0	31.6
	(1.2)	(1.5)	(0.5)	(0.5)	(0.8)	(1.0)		
5. निवेश	68,928	72,305	80,906	84,638	1,49,834	1,56,943	5.4	4.7
	(26.0)	(25.4)	(27.1)	(26.9)	(26.6)	(26.2)		
6. ऋण एवं अग्रिम	1,36,822	1,46,572	1,43,637	1,56,446	2,80,460	3,03,018	7.4	8.0
	(51.7)	(51.4)	(48.1)	(49.8)	(49.8)	(50.6)		
7. अन्य आस्तियां	27,930	32,274	19,631	21,096	47,561	53,370	-13.3	12.2
	(10.5)	(11.3)	(6.6)	(6.7)	(8.4)	(8.9)		
कुल देयताएं/ आस्तियां	**2,64,758**	**2,84,929**	**2,98,494**	**3,14,285**	**5,63,252**	**5,99,214**	**4.3**	**6.4**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**		

टिप्पणियां : 1. मार्च 2019 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/ आस्तियों के अनुपात में हैं (प्रतिशत में)।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

हिस्सा है, मुख्य रूप से केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में, पिछले दो वर्षों में कम हुआ, इसलिए समग्र निवेश भी घटा (सारणी V.4)। तथापि, गैर-एसएलआर निवेश तेज गति से बढ़ा। प्रसंगवश, अगस्त 2018 में इस प्रकार के निवेश के लिए द्वितीयक बाजार में व्यापार के लिए योग्य प्रतिपक्षकारों की सूची में विस्तार किया गया है।

चार्ट V.8: यूसीबी का वितरण

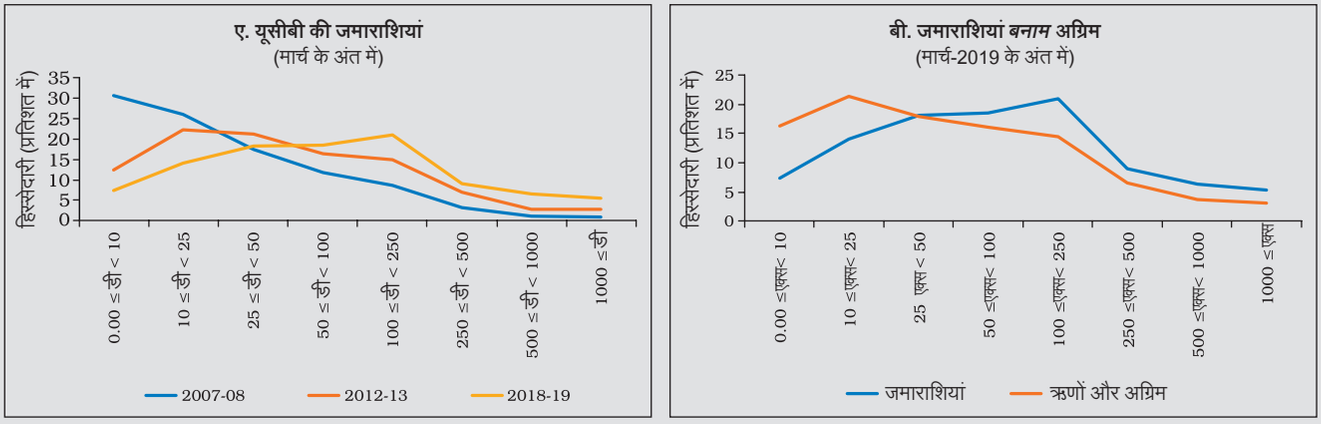

टिप्पणी : 'डी': जमाराशियों की राशि ₹ करोड़ में, और 'एक्स': जमाराशियां/ऋणों और अग्रिमों की राशि ₹ करोड़ में।

स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

सारणी V.3: जमाराशियों और अग्रिमों के आकार के अनुसार यूसीबी का वितरण
(मार्च-2019 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

जमाराशि	यूसीबी की संख्या		कुल जमाराशियां		अग्रिम	यूसीबी की संख्या		कुल अग्रिमों की राशि	
	संख्या	% हिस्सेदारी	राशि	% हिस्सेदारी		संख्या	% हिस्सेदारी	राशि	% हिस्सेदारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00 ≤ डी < 10	115	7.4	651	0.1	0.00 ≤ एडी < 10	253	16.4	1,349	0.4
10 ≤ डी < 25	216	14.0	3,661	0.8	10 ≤ एडी < 25	331	21.4	5,601	1.8
25 ≤ डी < 50	281	18.2	10,101	2.1	25 ≤ एडी < 50	278	18.0	9,911	3.3
50 ≤ डी < 100	285	18.5	19,997	4.1	50 ≤ एडी < 100	248	16.1	17,992	5.9
100 ≤ डी < 250	323	20.9	50,755	10.5	100 ≤ एडी < 250	225	14.6	35,270	11.6
250 ≤ डी < 500	140	9.1	47,216	9.7	250 ≤ एडी < 500	101	6.5	35,141	11.6
500 ≤ डी < 1000	100	6.5	67,362	13.9	500 ≤ एडी < 1000	59	3.8	39,853	13.2
1000 ≤ डी	84	5.4	2,84,574	58.8	1000 ≤ एडी	49	3.2	1,57,902	52.1
कुल	1,544	100.0	4,84,316	100.0	कुल	1,544	100.0	3,03,018	100.0

टिप्पणियां : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. 'डी' और 'एडी' क्रमशः जमाराशियां और अग्रिमों की राशि दर्शाते हैं।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

V.19 वर्ष 2016-17 में विमुद्रीकरण के कारण हुई उच्च जमा वृद्धि और उसके अगले वर्ष एससीबी में निम्न ऋण वद्धि के प्रभाव के कारण यूसीबी का वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान एससीबी से अधिक दर्ज किया गया। तथापि, एससीबी की ऋण वृद्धि में तेजी होने से वर्ष 2018-19 में इसमें कमी आ गई। (चार्ट V.9ए)

V.20 1 अप्रैल 2015 से यूसीबी की डीसीसीबी और एसटीसीबी में जमा शेषराशि को एसएलआर निवेश माना जाना बंद हो गया है। परिणामस्वरूप, यूसीबी का निवेश-जमा अनुपात पहली बार एससीबी के अनुपात की तुलना में कम हो गया और बाद के वर्षों में भी कम ही बना रहा। (चार्ट V.9बी)

सारणी V.4: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च अंत की स्थिति			घट-बढ़ (%)	
	2017	2018	2019	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6
कुल निवेश (क + ख)	**1,42,091**	**1,49,834**	**1,56,943**	**5.45**	**4.74**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**		
ए. एसएलआर निवेश (i से iii)	**1,25,378**	**1,35,863**	**1,39,450**	**8.36**	**2.64**
	(88.2)	**(90.7)**	**(88.9)**		
(i) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	95,471	98,433	98,215	3.10	-0.22
	(67.2)	(65.7)	(62.6)		
(ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	29,356	37,227	40,566	26.81	8.97
	(20.7)	(24.9)	(25.9)		
(iii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	551	204	669	-63.04	228.45
	(0.4)	(0.1)	(0.4)		
बी. गैर- एसएलआर निवेश	**16,713**	**13,971**	**17,493**	**-16.41**	**25.22**
	(11.8)	**(9.3)**	**(11.2)**		

टिप्पणियां : 1. वर्ष 2019 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल निवेश के प्रतिशत के रूप में हैं।

स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

चार्ट V.9: ऋण-जमा और निवेश-जमा अनुपात : यूसीबी *बनाम* एससीबी

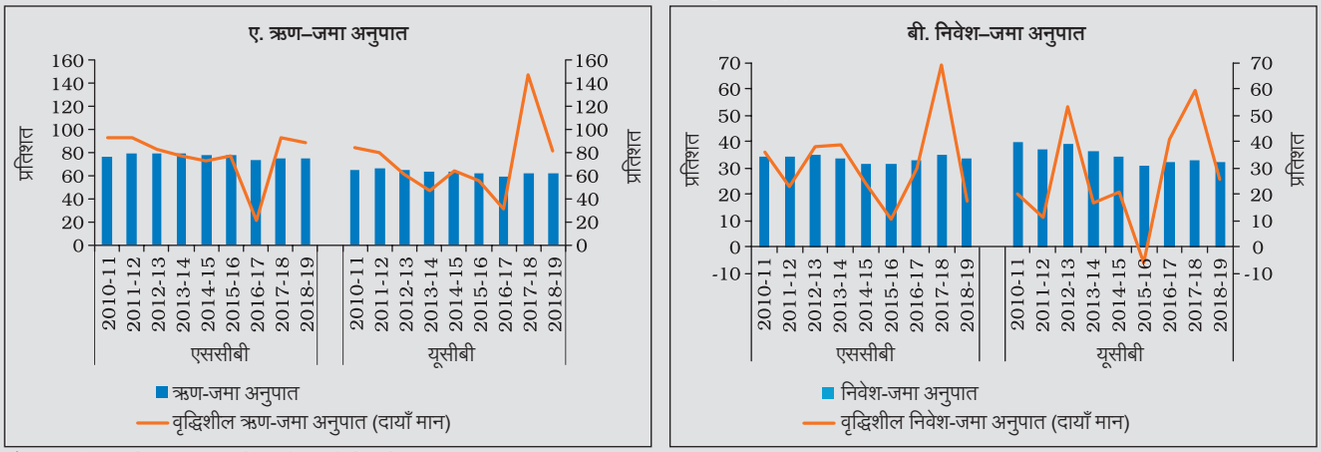

स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

2.2 *सुदृढ़ता*

V.21 कैमल्स (पूंजी पर्याप्तता; आस्ति गुणवत्ता; प्रबंधन; अर्जन; चलनिधि; और प्रणाली और नियंत्रण) रेटिंग मॉडल का प्रयोग विनियमन और पर्यवेक्षण के उद्देश्यों[8] से यूसीबी को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। शीर्ष रैंकिंग श्रेणियों ए तथा बी में इस क्षेत्र की 78 प्रतिशत यूसीबी आते हैं (सारणी V.5)। हालांकि पिछले पांच वर्षों में ए श्रेणी के यूसीबी की संख्या कम हुई है तथा बी श्रेणी की संख्या में सहगामी वृद्धि हुई है।

सारणी V.5: रेटिंग-वार यूसीबी का वितरण
(मार्च 2019 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

रेटिंग	संख्या		जमा		अग्रिम	
	बैंक	कुल का %	राशि	कुल का %	राशि	कुल का %
1	2	3	4	5	6	7
ए	286	18.52	1,39,696	28.84	88,640	29.25
बी	913	59.13	2,71,573	56.07	1,71,129	56.47
सी	275	17.81	63,488	13.11	38,620	12.75
डी	70	4.53	9,559	1.97	4,628	1.53
कुल	**1,544**	**100.00**	**4,84,316**	**100.00**	**3,03,018**	**100.00**

टिप्पणियां : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
3. रेटिंग वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान किए गए निरीक्षण पर आधारित हैं।

स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

गत पांच वर्षों में श्रेणी डी में यूसीबी की हिस्सेदारी 4 से 5 प्रतिशत के दायरे में रही (चार्ट V.10)।

2.3 *पूंजी पर्याप्तता*

V.22 बासेल I मानदंडों के अनुसार यूसीबी को पूंजी संरक्षण बफर और हाय कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) की अतिरिक्त अपेक्षाओं के बिना जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) के 9 प्रतिशत न्यूनतम सांविधिक पूंजी बनाए

चार्ट V.10: रेटिंग श्रेणियों के अनुसार यूसीबी की संख्या और व्यापार का वितरण
(मार्च अंत में)

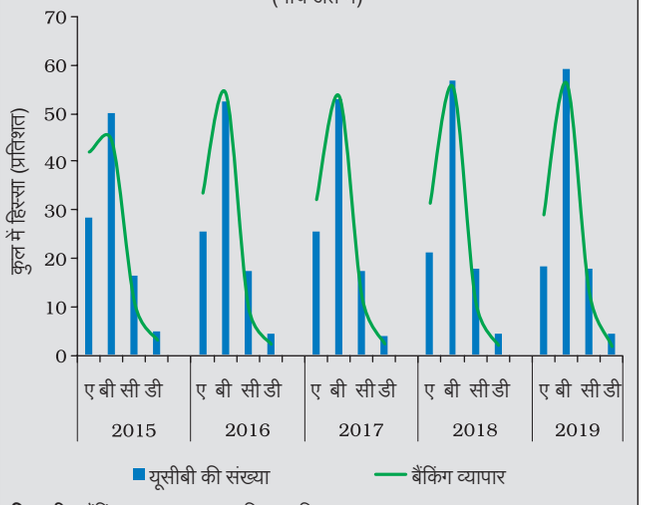

टिप्पणी : बैंकिंग व्यापार = जमाराशि + अग्रिम
स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

[8] कैमल्स रेटिंग मॉडल यूसीबी को ए/बी/सी/डी (कार्यनिष्पादन के घटते क्रम में) की समग्र रेटिंग प्रदान करता है जो कैमल्स के प्रत्येक घटकों की भारित औसत रेटिंग पर आधारित होता है।

सारणी V.6: सीआरएआर-वार यूसीबी का वितरण

(मार्च 2019 के अंत में)

सीआरएआर (प्रतिशत में)	अनुसूचित यूसीबी	गैर- अनुसूचित यूसीबी	सभी यूसीबी
1	2	3	4
सीआरएआर < 3	4	34	38
3 <= सीआरएआर < 6	0	7	7
6 <= सीआरएआर < 9	0	14	14
9 <= सीआरएआर < 12	6	150	156
12 <= सीआरएआर	44	1,285	1,329
कुल	**54**	**1,490**	**1,544**

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

रखना आवश्यक है। मार्च 2019 के अंत तक 96 प्रतिशत से अधिक यूसीबी ने 9 प्रतिशत और उससे अधिक सीआरएआर बनाए रखा (सारणी V.6)

V.23 असमग्र स्तर पर, गैर-अनुसूचित यूसीबी (एनएसयूसीबी), जिनकी पहचान उनकी आस्तियों के कम आकार से होती है, की पूंजी स्थितियां अनुसूचित यूसीबी (एसयूसीबी) की तुलना में बेहतर हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान, 9 प्रतिशत और उससे अधिक सीआरएआर बनाए रखने वाले एनएसयूसीबी 96 प्रतिशत थे जबकि इसकी तुलना में एसयूसीबी 92 प्रतिशत थे। हालांकि दूसरी ओर उसी वर्ष चार एसयूसीबी का सीआरएआर ऋणात्मक था (चार्ट V.11)। नवीनतम पर्यवेक्षी विवरणियों से पता चलता है कि एसयूसीबी के सीआरएआर में गिरावट आई है जो वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में 13.5 प्रतिशत थी और वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में में 9.8 प्रतिशत हो गई।

2.4 आस्ति गुणवत्ता

V.24 यूसीबी का एनपीए अनुपात वर्ष 2014-15 तक एससीबी की तुलना में अधिक था, परंतु दो विशेष कारणों से यह स्थिति उलट गई है। पहला है आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर), जिसके परिणामस्वरूप एससीबी की आस्तियों की बेहतर पहचान हुई, जिससे उनका एनपीए अनुपात अपने वास्तविक स्तर पर पहुंच गया। दूसरा, यूसीबी की आस्तियों की गुणवत्ता में समय के साथ धीरे-धीरे सुधार हो रहा है (चार्ट V.12)।

V.25 वर्ष 2018-19 के दौरान एनएसयूसीबी के जीएनपीए अनुपात में गिरावट के कारण यूसीबी की आस्ति गुणवत्ता में मामूली सुधार दर्ज किया गया। इस सुधार के बावजूद एसयूसीबी की तुलना में एनएसयूसीबी का एनपीए अधिक रहा (सारणी V.7)। एसयूसीबी का जीएनपीए अनुपात वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में बढ़कर 10.5 प्रतिशत हो गया जो धोखाधड़ी से प्रभावित एक बैंक की बड़ी खामियों को दर्शाता है।

V.26 जीएनपीए की तुलना में प्रावधानों की व्यापक बढ़ोतरी से यूसीबी के प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर) में सुधार हुआ (चार्ट V.13)। एसयूसीबी की तुलना में एनएसयूसीबी के

चार्ट V.11: सीआरएआर के अनुसार यूसीबी का वितरण (मार्च 2019 के अंत में)

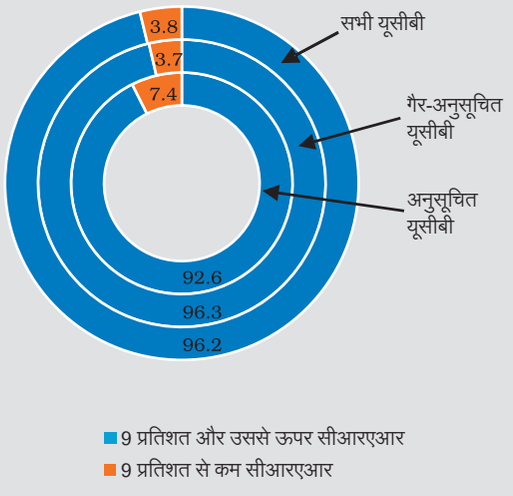

स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

चार्ट V.12: अनर्जक आस्तियाँ : यूसीबी *बनाम* एससीबी

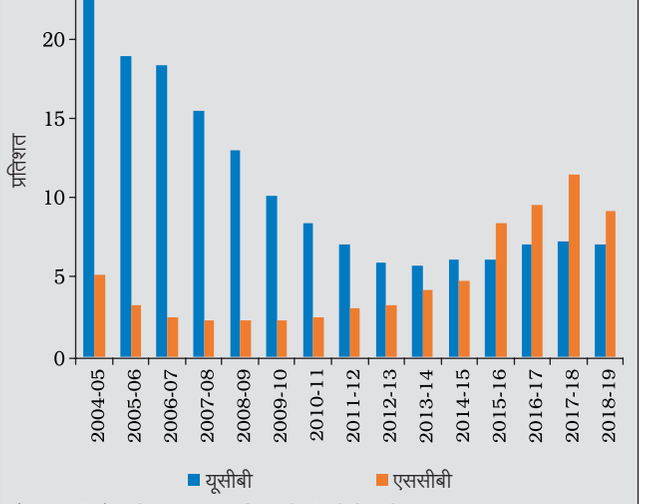

स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

सारणी V.7: यूसीबी की अनर्जक आस्तियाँ

क्र. सं.	मदें	अनुसूचित यूसीबी		गैर- अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सकल एनपीए (₹ करोड़ में)	8,687	9,435	11,390	12,124	20,077	21,559
2	सकल एनपीए अनुपात (%)	6.3	6.4	7.9	7.7	7.2	7.1
3	निवल एनपीए (₹ करोड़ में)	3,428	3,669	3,926	3,751	7,355	7,421
4	निवल एनपीए अनुपात (%)	2.6	2.6	2.9	2.5	2.8	2.6
5	प्रावधानीकरण (₹ करोड़ में)	5,259	5,766	7,464	8,373	12,723	14,139
6	प्रावधानीकरण व्याप्ति अनुपात (%)	60.5	61.1	65.5	69.1	63.4	65.6

टिप्पणी : वर्ष 2019 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

जीएनपीए अनुपात के बढ़े हुए स्तर को देखते हुए एनएसयूसीबी की प्रावधानीकरण आवश्यकताएं समान रूप से अधिक हैं (चार्ट V.13)। एसयूसीबी का पीसीआर वर्ष 2018-19 की पहली छमाही के 48.4 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में घटकर 40.9 प्रतिशत हो गया।

2.5 *वित्तीय कार्यनिष्पादन और लाभप्रदता*

V.27 वर्ष 2018-19 में यूसीबी के निवल लाभ में कमी आई। जमा वृद्धि में बहाली के बावजूद ब्याज पर होने वाले व्ययों में लगातार दूसरे साल भी गिरावट रही। सभी यूसीबी की ब्याज से होने वाली आय और ब्याज पर होने वाले व्ययों में गिरावट एनएसयूसीबी के कारण हुई है, जबकि एसयूसीबी द्वारा दोनों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। एसयूसीबी और एनएसयूसीबी दोनों की ब्याज से इतर आय में गिरावट हुई है जो शुल्क-अर्जक गतिविधियों से होने वाली आय में गिरावट और प्रतिभूतियों के व्यापार और बिक्री पर हुई हानि को दर्शाता है (सारणी V.8)।

V.28 यूसीबी की लाभप्रदता जो इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) के संदर्भ में मापी जाती है, इसमें मुख्यतः एनएसयूसीबी के कम कार्यनिष्पादन के कारण मामूली गिरावट आई है (सारणी V.9)। वर्ष 2019-20 की पहली छमाही के दौरान एसयूसीबी घाटे में हैं।

V.29 इस गिरावट के बावजूद एनएसयूसीबी के लाभप्रदता संकेतक, इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) को छोड़कर, अपने अनुसूचित प्रतिपक्षकारों की तुलना में अधिक रहे (चार्ट V.14)।

चार्ट V.13: एनपीए और पीसीआर – यूसीबी

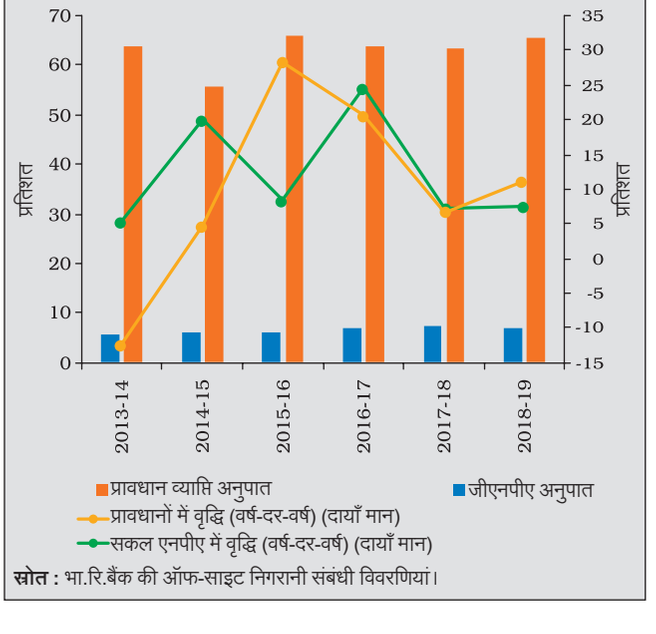

स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

चार्ट V.14: लाभप्रदता संकेतक- एसयूसीबी *बनाम* एनएसयूसीबी

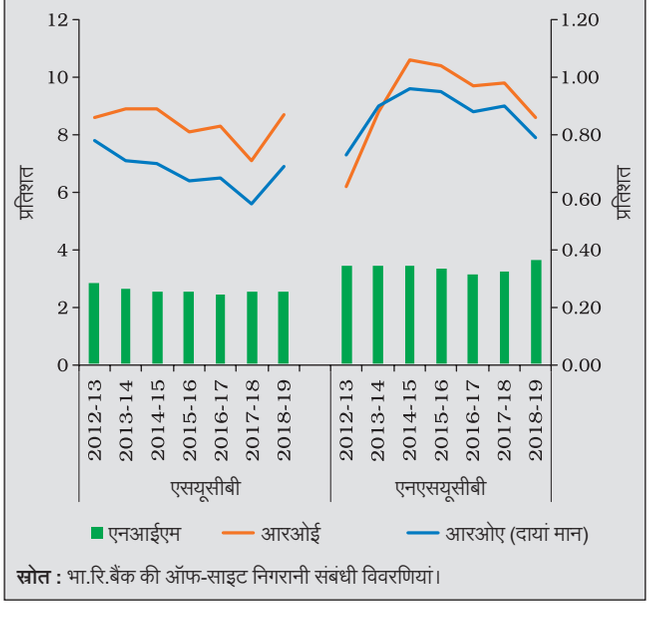

स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

सारणी V.8: अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्यनिष्पादन

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी		सभी यूसीबी घट-बढ़ (%)	
	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ए. कुल आय [i+ii]	**23,222**	**23,360**	**30,200**	**28,744**	**53,422**	**52,103**	**1.5**	**-2.5**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**		
i. ब्याज से आय	20,237	20,794	28,332	27,226	48,569	48,020	2.1	-1.1
	(87.1)	(89.0)	(93.8)	(94.7)	(90.9)	(92.2)		
ii. ब्याज से इतर आय	2,986	2,566	1,867	1,517	4,853	4,084	-4.1	-15.9
	(12.9)	(11.0)	(6.2)	(5.3)	(9.1)	(7.8)		
बी. कुल व्यय [i+ii]	**19,330**	**19,453**	**25,642**	**24,460**	**44,972**	**43,912**	**0.7**	**-2.4**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**		
i. ब्याज में व्यय	13,595	13,719	18,837	17,508	32,432	31,227	-2.6	-3.7
	(70.3)	(70.5)	(73.5)	(71.6)	(72.1)	(71.1)		
ii. ब्याज से इतर व्यय	5,735	5,733	6,805	6,952	12,540	12,685	10.4	1.2
	(29.7)	(29.5)	(26.5)	(28.4)	(27.9)	(28.9)		
जिसमें से : स्टाफ पर व्यय	2,486	2,591	3,631	3,609	6,117	6,199	4.7	1.3
सी. लाभ								
i. परिचालन लाभ की राशि	3,893	3,907	4,558	4,284	8,450	8,191	6.3	-3.1
ii. प्रावधान, आकस्मिक निधियां	1,706	1,239	1,155	1,241	2,861	2,480	8.6	-13.3
iii. करों हेतु प्रावधान	742	771	765	932	1,508	1,702	10.0	12.9
iv. कर पूर्व निवल लाभ की राशि	2,187	2,669	3,403	3,043	5,589	5,711	5.2	2.2
v. कर पश्चात निवल लाभ की राशि	1,445	1,898	2,637	2,111	4,082	4,009	3.5	-1.8

टिप्पणियां : 1. वर्ष 2018-19 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।
2. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
3. प्रतिशत परिवर्तन थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को रुपये करोड़ में पूर्णांकित कर दिया गया है।
स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

V.30 बैंक-विशेष कारक जैसे ऋण जोखिम, ब्याज से प्राप्त होने वाली आय और ब्याज से इतर होने वाली आय तथा समग्र समष्टि आर्थिक परिवेश यूसीबी की लाभप्रदता के प्रमुख निर्धारक हैं (बॉक्स V.2)।

सारणी V.9: यूसीबी के चुनिंदा लाभप्रदता संकेतक

(प्रतिशत)

संकेतक	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी	
	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.56	0.69	0.90	0.79	0.74	0.74
इक्विटी पर प्रतिलाभ	7.14	8.71	9.88	8.62	8.70	8.66
निवल ब्याज मार्जिन	2.56	2.57	3.25	3.62	2.93	3.12

टिप्पणी : वर्ष 2018-19 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

2.6 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

V.31 रिज़र्व बैंक ने यूसीबी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र[9] को ऋण देने संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन किया है, जिसे 10 मई 2018 से अमल में लाया गया। खाद्य और एग्रो-प्रासेसिंग यूनिट, मध्यम उद्यमों, सोशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं अक्षय ऊर्जा को ऋण जैसी नई श्रेणियों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में शामिल किया गया। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष ऋण के बीच के घट-बढ़ को समाप्त कर दिया गया और सूक्ष्म-ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत एक अलग श्रेणी नहीं रहा।

V.32 ऐतिहासिक रूप से, यूसीबी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण उसके निर्धारित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र संबंधी लक्ष्यों से अधिक रहा है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र संबंधी लक्ष्यों में

[9] यूसीबी को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कुल ऋण के 40 प्रतिशत समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र के समतुल्य ऋण, जो भी अधिक है, का लक्ष्य पूरा करने की आवश्यकता है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत, कमजोर वर्गों और सूक्ष्म उद्यमों के लिए एएनबीसी या तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र के समतुल्य ऋण, जो भी अधिक है, के 10 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बॉक्स V.2: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (एसयूसीबी) की लाभप्रदता के संचालक

तुलन-पत्र गतिशीलता संकेत दर्शाती है कि शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की लाभप्रदता को प्रभावित करने वाले प्रमुख निर्धारक ऋण जोखिम और ब्याजेतर आय हैं। भारतीय अनुसूचित सहकारी बैंकों (एससीबी) के संबंध में, निधि प्रबंधन की दक्षता- ब्याज से आय की तुलना में ब्याज पर व्यय के अनुपात के रूप में परिभाषित - को उनकी लाभप्रदता के एक प्रमुख निर्धारक के रूप में पाया गया है (राखे, 2010)। आर्थिक साहित्य बैंक के विशिष्ट कारकों के अलावा बैंकों की लाभप्रदता को प्रेरित करने वाले समष्टि आर्थिक कारकों की ओर इशारा करता है (अथानासोग्लू ईटी.एएल 2005, कोहल्श्वीन ईटी.एएल 2018)।

वर्ष 2012-2019 की अवधि का 52 एसयूसीबी[10] का वार्षिक तुलन-पत्र डेटा और समष्टि आर्थिक डेटा का उपयोग करते हुए फ़िक्स्ड इफ़ेक्ट्स पैनल फ्रेमवर्क का प्रयोग किया गया जिसमें आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) को निवल लाभ की तुलना में आश्रित चर रूपी कुल आस्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।

बैंक-विशिष्ट कारकों में, ब्याजेतर आय अनुपात एसयूसीबी की लाभप्रदता के सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में उभरा है (सारणी 1)। ऋण जोखिम (ऋणों और अग्रिमों की तुलना में प्रावधानों और आकस्मिक निधियों के अनुपात के रूप में अनुमानित) एसयूसीबी की लाभप्रदता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है क्योंकि दबाव के समय में अतिरिक्त प्रावधान उधार या निवेश के लिए कम संसाधन छोड़ते हैं। अन्य बैंक-विशिष्ट कारक जैसे ब्याज संबंधी व्यय की तुलना में ब्याज पर आय एसयूसीबी की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

समष्टि-आर्थिक नियंत्रण चरों के मामले में, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि आरओए पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, जिसमें बैंक की लाभप्रदता की अनुकूल-चक्रीयता निहित है - उच्च ऋण मांग आमतौर पर उच्च विकास को समर्थन देता है, जो बैंक लाभप्रदता को बढ़ाता है। उधार दर के लिए प्रॉक्सी के रूप में लिया गया एससीबी का डबल्यूएएलआर सकारात्मक रूप से उसी से संबंधित है।

सारणी 1: आश्रित चर– आस्तियों पर प्रतिलाभ

	(1)	(2)	(3)	(4)
ऋण जोखिम	-0.119***	-0.113***	-0.118***	-0.115***
	(0.0217)	(0.0239)	(0.0216)	(0.0209)
ब्याज से आय की तुलना में ब्याज पर व्यय	-0.0396***	-0.0383***	-0.0404***	-0.0402***
	(0.00714)	(0.00634)	(0.00737)	(0.00697)
कार्यकारी निधियों की तुलना में ब्याजेतर आय		0.197**		
		(0.0829)		
कुल आस्तियों की तुलना में ब्याजेतर व्यय			-0.0950	
			(0.0585)	
वास्तविक जीडीपी वृद्धि				0.0895*
				(0.0496)
मुद्रास्फीति				-0.136
				(0.0832)
डबल्यूएएलआर				0.389***
				(0.128)
कॉन्स	3.684***	3.472***	3.942***	-0.849
	(0.470)	(0.435)	(0.514)	(0.928)
बैंक के नियत प्रभाव	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
समय के नियत प्रभाव	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
एन	388	388	388	388
आर^2	0.336	0.362	0.341	0.322

कोष्ठक में सुदृढ़ मानक त्रुटियां

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

संदर्भ

अथानासोग्लू, पी.पी. ब्रिस्मिस, एस.एन., & डेलिस, एम.डी. (2008)। बैंक-स्पेसिफिक, इंडस्ट्री-स्पेसिफिक एंड मैक्रोइकनोमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ बैंक प्रोफीटेबिलिटी। जर्नल ऑफ इन्टरनेशनल फ़ाइनेंशियल मार्केट्स, इन्स्टीट्यूशन्स एंड मनी, 18(2), 121-136

कोहल्श्वीन, ई., मुर्सिया पाबोन, ए., & कोंट्रेरस, जे. (2018)। डिटर्मिनेंट्स ऑफ बैंक प्रोफीटेबिलिटी इन इमर्जिंग मार्केट्स। बीआईएस वर्किंग पेपर्स, नं 686

राखे, पी.बी., (2010), "प्रोफीटेबिलिटी ऑफ फ़ॉरेन बैंक्स विज़-अ-विज़ अदर बैंक ग्रुप्स इन इंडिया- ए पैनल डेटा एनालिसिस"। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ओकेशनल पेपर्स वॉल्यूम 31, नं.2

नई श्रेणियों को शामिल करने के बावजूद 2018-19 के दौरान यूसीबी के कुल अग्रिम में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का हिस्सा घटा, लेकिन वह 40 प्रतिशत के समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र लक्ष्य से अधिक रहा (सारणी V.10)।

V.33 यूसीबी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण की संरचना यह दर्शाती है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रदत्त ऋण कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का 60.7 प्रतिशत है, जिसके बाद आवास को दिए गए अग्रिमों का स्थान आता है। यूसीबी का ध्यान शहरों पर केंद्रित होने के कारण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत दिए गए कृषि ऋण में उनका हिस्सा कम है।

V.34 यूसीबी को अधिदेश दिया गया कि वे समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 10 प्रतिशत कमजोर वर्गों[11] को प्रदान करें। वर्ष 2018-19 के दौरान, कमजोर वर्गों को दिया गया ऋण

[10] मार्च 2019 के अंत तक, यूसीबी क्षेत्र की कुल परिसंपत्तियों में से 47 प्रतिशत की हिस्सेदारी एसयूसीबी की है।

[11] प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित उधारकर्ताओं को प्रदान किए गए ऋणों को कमजोर वर्गों की श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा, जैसे, कारीगरों; ग्राम और कुटीर उद्योगों, जहां व्यक्तिगत ऋण सीमाएं ₹1 लाख से अधिक नहीं है; अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों; स्वयं सहायता समूहों; गैर-संस्थागत ऋणदाताओं के प्रति ऋणग्रस्त दबावग्रस्त कृषकों; कृषकों के अलावा दबावग्रस्त व्यक्तियों, जिनकी प्रति उधारकर्ता ऋण राशि 1 लाख से अधिक नहीं है ताकि वे गैर-संस्थागत ऋणदाताओं को अपने कर्ज की पूर्व अदायगी कर सके; महिला; दिव्यांग जन; प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों के अंतर्गत ₹5,000 तक के ओवरड्राफ्ट, बशर्ते उधारकर्ताओं की घरेलू वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में ₹100,000 एवं ग्रामीण क्षेत्रों से इतर के मामले में ₹1,60,000 से अधिक न हो ।

सारणी V.10: यूसीबी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदान किए गए ऋण की संरचना

(मार्च 31, 2019 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	
	राशि	कुल अग्रिमों में हिस्सेदारी (%)
1	2	3
1. कृषि [(i)+(ii)+(iii)]	**9,803**	**3.2**
(i) कृषि ऋण	7,209	2.4
(ii) कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर	589	0.2
(iii) सहायक गतिविधियाँ	2,005	0.7
2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम [(i) + (ii)+(iii)+(iv)]	**81,387**	**26.9**
(i) सूक्ष्म उद्यम	27,789	9.2
(ii) लघु उद्यम	42,232	13.9
(iii) मध्यम उद्यम	11,013	3.6
(iv) केवीआई को अग्रिम (एमएसएमई को अन्य वित्त सहित)	353	0.1
3. निर्यात ऋण	**218**	**0.1**
4. शिक्षा	**1,910**	**0.6**
5. आवास	**22,721**	**7.5**
6. सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर	**831**	**0.3**
7. अक्षय ऊर्जा	**241**	**0.1**
8. 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत 'अन्य' वर्ग	**16,916**	**5.6**
9. कुल (1 से 8)	**1,34,028**	**44.2**
जिसमें से : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत कमजोर वर्गों को ऋण	**28,143**	**9.3**

टिप्पणी: 1. वर्ष 2019 के डेटा अनंतिम हैं। पिछले वर्षों के घटक-वार तुलनात्मक डेटा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के मानदंडों में बदलाव के कारण उपलब्ध नहीं हैं।
2. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

एएनबीसी के 10 प्रतिशत के न्यूनतम लक्ष्य से नीचे गिरा और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त समग्र ऋणों में भी उनका हिस्सा गिरकर 21 प्रतिशत हो गया।

3. ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

V.35 ग्रामीण सहकारी संस्थाएं अपनी भौगोलिक पहुंच की बदौलत किफ़ायती संस्थागत ऋण प्रदान करने और कम बैंक वाले क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका अदा करती हैं। अल्पावधि सहकारी संस्थाएं मुख्य रूप से फसल ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करती हैं, जबकि दीर्घावधि सहकारी संस्थाएं कृषि, ग्रामीण उद्योगों एवं आवास में पूंजी निर्माण हेतु ऋण उपलब्ध कराती हैं। यद्यपि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषि को ऋण प्रदान करने में अधिक ध्यान दिया जाता है लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस ऋण श्रेणी में ग्रामीण सहकारी संस्थाओं

सारणी V.11: ऋण प्रवाह में हिस्सेदारी – ग्रामीण सहकारी संस्थाए

(आंकड़े प्रतिशत में)

	कृषि को प्रदत ऋण प्रवाह में हिस्सेदारी		
	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	एससीबी
2014-15	16.4	12.1	71.5
2015-16	16.7	13.0	70.2
2016-17	13.4	11.6	75.0
2017-18	12.9	12.1	74.9
2018-19	12.1	11.9	76.0

स्रोत : नाबार्ड।

की हिस्सेदारी, जो 1992-93 में 64 प्रतिशत थी, में भारी कमी आई है, जबकि वाणिज्यिक बैंकों ने अपनी पकड़ मजबूत की है (सारणी V.11)।

V.36 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार, अल्पावधि सहकारी संस्थाओं में शामिल एसटीसीबी, डीसीसीबी और पीएसीएस का ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की कुल आस्तियों में 94.2 प्रतिशत हिस्सा था (चार्ट V.15)।

V.37 दीर्घावधि सहकारी संस्थाओं में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) एवं प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) आते हैं। सीमित प्रकार के ऋण उत्पादों और अपेक्षाकृत रूप से आउटरीच में कमी की वजह से पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण

चार्ट V.15: अल्पावधि *बनाम* दीर्घावधि सहकारी संस्थाओं का सापेक्ष योगदान

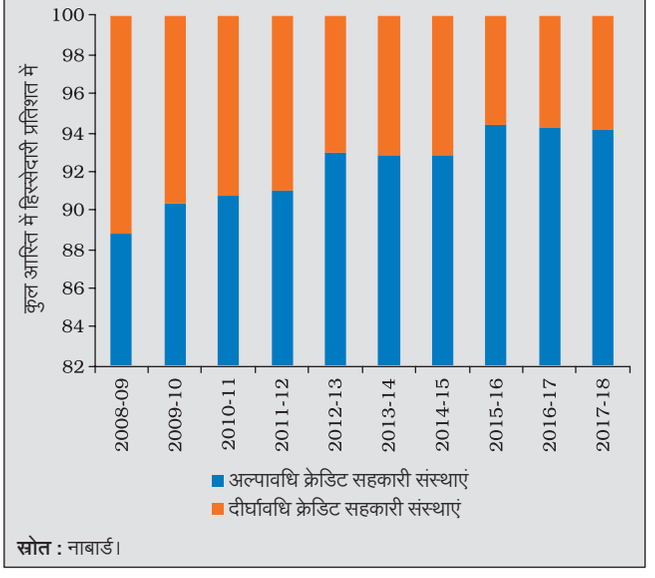

स्रोत : नाबार्ड।

सहकारी संस्थाओं की कुल आस्तियों में उनका हिस्सा घटता जा रहा है।

V.38 अल्पावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की संरचना काफी हद तक संघीय है, जिसमें एसटीसीबी एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य कर रही है, जबकि दीर्घावधि सहकारी संस्थाओं की संरचना में अलग-अलग राज्यों में काफी भिन्नता पाई गई। वर्तमान में, पूर्णतः कार्यरत तेरह एससीएआरडीबी में से पांच (गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पुदुच्चेरी, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश) एक ही इकाई से संबंधित हैं, अर्थात वे अपनी शाखाओं के माध्यम से परिचालन करते हैं जहां कोई अलग-अलग पीसीएआरडीबी नहीं हैं, छह (हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु) संघीय हैं, जहां वे पीसीएआरडीबी के माध्यम से परिचालन करते हैं, और दो (हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल) की संरचना मिश्रित हैं जहां एससीएआरडीबी पीसीएआरडीबी के साथ-साथ अपनी शाखाओं के जरिए परिचालन कर रहे हैं।

3.1 अल्पावधि सहकारी संस्थाएं

V.39 अधिकांश राज्यों में अल्पावधि सहकारी संस्थाओं की संरचना तीन-स्तर की होती है, शीर्ष स्तर पर एसटीसीबी, मध्यवर्ती स्तर पर डीसीसीबी तथा जमीनी स्तर पर पीएसीएस। जमाराशियां एसटीसीबी की देयता संरचना की प्रमुख घटक होती हैं, और विशेष रूप से डीसीसीबी की, जिसके विस्तृत शाखा नेटवर्क की बदौलत अधिक जमाराशि जुटाने में सुविधा होती है। फिर भी, पीएसीएस के मामले में, एसटीसीबी और डीसीसीबी से उधार लेना धन के प्रमुख स्रोत[12] हैं (चार्ट V.16)।

3.1.1 *राज्य सहकारी बैंक*

V.40 प्रत्येक राज्य में एसटीसीबी की स्थापना जमाओं को जुटाने, चलनिधि सहायता प्रदान करने और डीसीसीबी एवं पीएसीएस को तकनीकी सहायता देने के लिए की गई है। आकार के संदर्भ में, एसटीसीबी का अल्पावधि ग्रामीण सहकारी

सारणी V.12: ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का प्रोफाइल
(मार्च 2018 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	अल्पावधि			दीर्घावधि	
	एसटीसीबी	डीसीसीबी	पीएसीएस	एससीएआरडीबी	पीसीएआरडीबी
1	2	3	4	5	6
ए. सहकारी संस्थाओं की संख्या	**33**	**363**	**95,238**	**13**	**601**
बी. तुलन-पत्र के संकेतक					
i. स्वाधिकृत निधियां (पूंजी + आरक्षित निधियां)	16,782	40,624	30,942	4,305	3,288
ii. जमाराशियां	1,23,534	3,47,967	1,19,632	2,341	1,306
iii. उधारियां	72,170	90,312	1,28,333	15,400	16,349
iv. ऋण और अग्रिम	1,31,934	2,77,079	2,07,322	20,788	15,821
v. कुल देयताएं / आस्तियां	2,26,841	5,25,157	2,43,563*	28,994	30,550
सी. वित्तीय कार्यनिष्पादन					
i. लाभ में चल रही संस्थाएं					
अ. संख्या	32	311	46,405	9	257
आ. लाभ की राशि	1,037	1,744	4,134	74	127
ii. हानि में चल रही संस्था					
अ. संख्या	1	52	37,838	4	344
आ. हानि की राशि	7	893	7,316	83	638
iii. कुल लाभ (+) / हानी (-)	1,030	851	-3,182	-9	-511
डी. अनर्जक आस्तियां					
i. राशि	6,223	30,894	47,915**	5,206	6,058
ii. बकाया ऋण के प्रतिशत के रुप में	4.7	11.2	28.2	25.0	38.4
ई. मांग अनुपात कि तुलना में ऋण वसूली# (प्रतिशत)	**94.2**	**71.1**	**75.6**	**48.4**	**41.1**

टिप्पणी : एसटीसीबी राज्य सहकारी बैंक, डीसीसीबी : जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, पीएसीएस : प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटी, एससीएआरडीबीएस : राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, पीसीएआरडीबीएस : प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।

* : कार्यशील पूंजी, ** : कुल अतिदेय #: यह अनुपात बकाया अनर्जक ऋण राशि के उस हिस्से को दर्शाता है जिसकी वसूली की जा चुकी है।

स्रोत : नाबार्ड और एनएएफएससीओबी।

[12] ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के धन के स्रोत में स्वाधिकृत निधियां (पूंजी और रिज़र्व), जमाराशियां एवं उधार राशियां शामिल हैं।

चार्ट V.16: संसाधन संरचना: अल्पावधि सहकारी संस्थाए
(मार्च 2018 के अंत में)

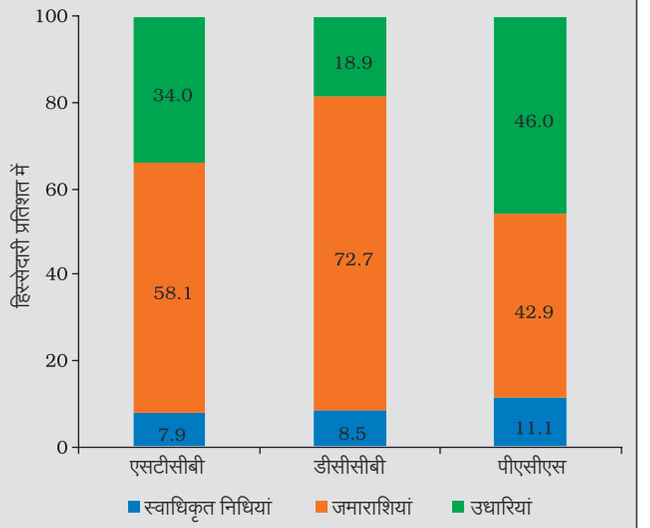

स्रोत : नाबार्ड और एनएएफएससीओबी।

संस्थाओं की आस्तियों में 23 प्रतिशत हिस्सा है और वह उधार के प्रमुख स्रोत के लिए नाबार्ड के पुनर्वित्त सुविधा पर आश्रित है।

तुलन पत्र में शामिल परिचालन

V.41 वर्ष 2017-18 में एसटीसीबी का समेकित तुलन पत्र आस्ति पक्ष में निवेश और नकदी तथा बैंक शेष में गिरावट की वजह से संकुचित हुआ। देयता पक्ष में, नाबार्ड द्वारा प्रदान की गई अल्पावधि पुनर्वित्त सहायता में कटौती की वजह से उधार में गिरावट आई। जमाराशि, जिसकी देयता पक्ष में आधे से भी ज्यादा हिस्सा है, गत वर्ष के उच्च स्तर से जब विमुद्रीकरण-पश्चात की अवधि में एसटीसीबी को विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के रूप में जमाराशि जुटाने की अनुमति प्रदान की गई थी, 2017-18 के दौरान घटीं। आस्ति पक्ष में, एसटीसीबी ने विशेष रूप से अल्प पुनर्वित्त सहायता एवं जमाराशि में मामूली वृद्धि की पृष्ठभूमि में ऋण और अग्रिम प्रदान करने के लिहाज से अपने निवेश में सुधार किया (सारणी V.13)।

V.42 अनुसूचित एसटीसीबी के उपलब्ध नवीनतम डेटा के अनुसार 2018-19 में जमा और ऋण वृद्धि दोनों में इजाफा हुआ।

सारणी : V.13: राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां
(मार्च 2018 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत में		घट-बढ़ प्रतिशत	
	2017	2018	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	5,161	5,542	-7.1	7.4
	(2.2)	(2.4)		
2. आरक्षित निधियां	10,294	11,240	9.6	9.2
	(4.4)	(4.9)		
3. जमा राशियां	1,22,039	1,23,534	11.6	1.2
	(52.3)	(54.4)		
4. उधारियां	80,892	72,170	17.6	-10.8
	(34.7)	(31.8)		
5. अन्य देयताएं	14,515	14,355	6.6	-1.1
	(6.2)	(6.3)		
आस्तियां				
1. नकद और बैंक में जमाशेष	9,660	9,288	51.6	-3.9
	(4.1)	(4.0)		
2. निवेश	84,613	74,398	22.6	-12.1
	(36.3)	(32.7)		
3. ऋण और अग्रिम	1,27,048	1,31,934	3.4	3.9
	(54.5)	(58.1)		
4. अन्य आस्तियां	11,580	11,221	36.2	-3.1
	(4.9)	(4.9)		
कुल देयताएं/आस्तियां	**2,32,901**	**2,26,841**	**12.7**	**-2.6**
	(100.00)	**(100.00)**		

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं / आस्तियों का प्रतिशत हैं।
2. वर्ष दर वर्ष घट-बढ़ थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को सारणी में ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकित कर दिया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत : नाबार्ड।

लाभप्रदता

V.43 एसटीसीबी का निवल लाभ 2017-18 के दौरान कम हुआ जबकि उसमें गत वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह मंदी मुख्य रूप से दर्शाती है कि वर्ष के दौरान बिगड़ती आस्ति गुणवत्ता के अनुरूप प्रावधान और आकस्मिक व्यय में तेजी से वृद्धि हुई है। हालांकि, सकारात्मक पक्ष यह है कि निवल ब्याज आय बढ़ी – यद्यपि ब्याज आय घटी, लेकिन ब्याज व्यय में उसके मुकाबले ज्यादा गिरावट आई। दूसरा सकारात्मक कारक यह है कि वेतन बिल में वृद्धि के बावजूद परिचालन व्यय कम हुआ है। परिणामस्वरूप, एसटीसीबी के परिचालन लाभ ने

सारणी V.14: अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के चुनिंदा तुलन-पत्र संकेतक

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6
जमाराशियां	77,233 (-0.6)	79,564 (3.0)	90,277 (13.5)	98,768 (9.4)	1,10,559 (11.9)
ऋण	1,03,798 (10.6)	1,07,360 (3.4)	1,10,934 (3.3)	1,17,989 (6.4)	1,31,399 (11.4)
एसएलआर निवेश	23,294 (-3.1)	24,220 (4.0)	26,225 (8.3)	33,411 (27.4)	33,130 (-0.8)
ऋण और एसएलआर निवेश का जोड़	1,27,092 (7.8)	1,31,580 (3.5)	1,37,159 (4.2)	1,51,400 (10.4)	1,64,529 (8.7)

टिप्पणी: 1. * आंकड़े संबंधित वर्ष के मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के हैं।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में हुई वृद्धि दर को प्रतिशत में दर्शाते हैं।

स्रोत : आरबीआई अधिनियम की धारा 42 के तहत फॉर्म बी (अनुसूचित एसटीसीबी द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुसार)।

पिछले दो वर्षों के संकुचन के विपरीत दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की है (सारणी V.15)।

सारणी V.15: राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	के दौरान		घट-बढ़ (%)	
	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5
ए आय (i+ii)	**15,247**	**15,477**	**-0.7**	**1.5**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. ब्याज से होने वाली आय	14,691	14,798	1.3	0.7
	(97.8)	(95.6)		
ii. अन्य आय	556	679	-30.0	22.1
	(1.9)	(4.5)		
बी. व्यय (i+ii+iii)	**14,295**	**14,447**	**-2.7**	**1.1**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. व्यय किया गया ब्याज	11,520	11,450	-3.5	-0.6
	(80.5)	(79.2)		
ii. प्रावधान और आकस्मिक निधियां	860	1,078	-33.3	25.3
	(6.0)	(7.4)		
iii. परिचालनगत व्यय	1,915	1,919	15.8	0.2
	(13.3)	(13.2)		
जिसमें : मजदूरी बिल	1,148	1,212	0.0	5.6
	(8.0)	(10.5)		
सी. लाभप्रदता				
परिचालनगत लाभ	1,482	1,818	-16.7	22.7
निवल लाभ	952	1,030	66.7	8.2

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल आय/ व्यय के अनुपात को प्रतिशत में दर्शाते हैं।
2. वर्ष दर वर्ष घट-बढ़ थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को सारणी में ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकित कर दिया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत : नाबार्ड।

आस्ति गुणवत्ता

V.44 एसटीसीबी की आस्ति गुणवत्ता - जैसा एनपीए अनुपात में दर्शाया गया है - 2012-13 से लगातार बेहतर हो रही है, लेकिन वह 2017-18 के दौरान ख़राब हुई। मांग की तुलना में वसूली अनुपात में वृद्धि के बावजूद, एनपीए में उल्लेखनीय अभिवृद्धि के साथ ही एनपीए के संदिग्ध और हानि दोनों घटकों में भी वृद्धि हुई (सारणी V.16)।

V.45 यह गिरावट यूसीबी और एससीबी की आस्ति गुणवत्ता में सुधार की पृष्ठभूमि के विरुद्ध मामूली है (चार्ट V.17)।

V.46 क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य से, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 2017-18 में एनपीए अनुपात में वृद्धि हुई (चार्ट V.18ए)। उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों की बदौलत एसटीसीबी के अखिल भारतीय मांग की तुलना में वसूली अनुपात में सुधार हुआ (चार्ट V.18बी)।

3.1.2 *जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक*

V.47 डीसीसीबी - जो अल्पावधि ग्रामीण सहकारी संरचना में एक मध्यवर्ती स्तर है - जनता से जमा राशि जुटाता है और जनता तथा पीएसीएस को ऋण प्रदान करता है। डीसीसीबी के उधार में एसटीसीबी से प्राप्त ऋण और अग्रिम तथा नाबार्ड से

सारणी V.16: सुदृढ़ता संकेतक: राज्य सहकारी बैंक

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत में		घट-बढ़ (%)	
	2017	2018	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5
ए. कुल एनपीए (i+ii+iii)	**5,180**	**6,223**	**-7.1**	**20.1**
i. अवमानक	1,592	2,293	-15.8	44.0
	(30.8)	(36.8)		
ii. संदिग्ध	2,419	2,539	-4.0	4.9
	(46.2)	(40.7)		
iii. हानि	1,168	1,397	0.0	19.6
	(23.1)	(22.4)		
बी. ऋण की तुलना में एनपीए अनुपात (%)	**4.1**	**4.7**	**-**	**-**
सी. मांग की तुलना में वसूली अनुपात (%)	**93.5**	**94.2**	**-**	**-**

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल एनपीए के हिस्से (%) हैं।
2. घट-बढ़ थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को पूर्णांकित किया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत : नाबार्ड।

चार्ट V.17: एनपीए अनुपात: एक तुलनात्मक अध्ययन

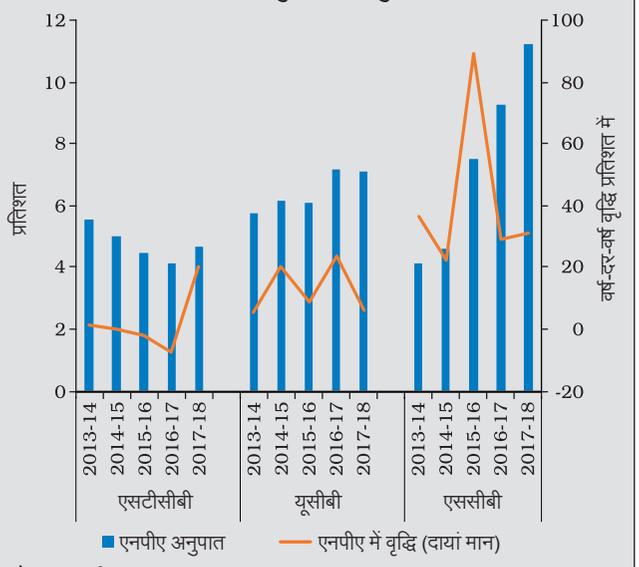

स्रोत : नाबार्ड।

चार्ट V.19: ऋण-जमा अनुपात: एसटीसीबी और डीसीसीबी

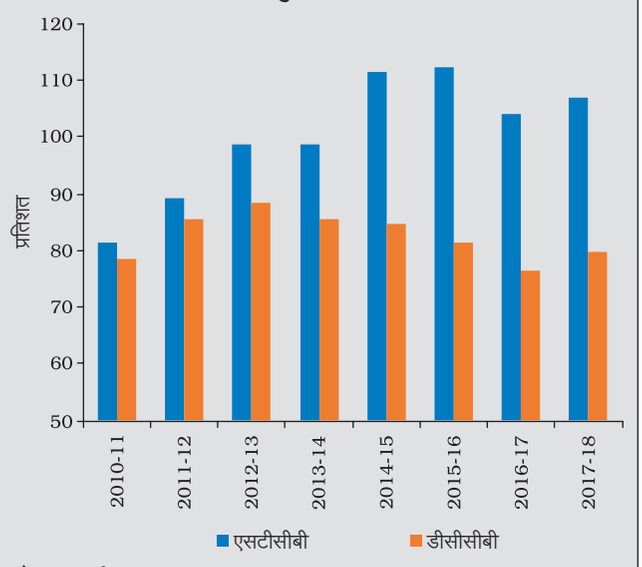

स्रोत : नाबार्ड।

प्राप्त प्रत्यक्ष पुनर्वित्त शामिल हैं। उनके शाखा नेटवर्क को देखते हुए उनके पास कई संख्या में जमाकर्ता हैं। नतीजतन एसटीसीबी की अपेक्षा उनका ऋण-जमा अनुपात कम हो गया (चार्ट V.19)।

तुलन पत्र में शामिल परिचालन

V.48 वर्ष 2017-18 के दौरान, देयता पक्ष में जमाराशि में कमी की वजह से डीसीसीबी के तुलन पत्र का आकार घटा। नकदी और बैंक शेष को कम करने के माध्यम से ऋणों और अग्रिमों के लिए धन जुटाया गया, जिसमें गत वर्ष में गिरावट के बाद बहाली आई (सारणी V.17)।

लाभप्रदता

V.49 डीसीसीबी के निवल लाभ में लगातार दूसरे वर्ष गिरावट आई, हालांकि गिरावट की गति धीमी हुई। उच्च प्रावधान संबंधी

चार्ट V.18: एसटीसीबी: क्षेत्रीय प्रवृत्तियां

ए. विभिन्न क्षेत्रों में एसटीसीबी की वित्तीय सेहत

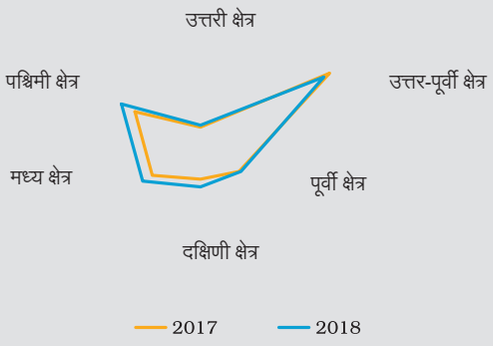

बी. एसटीसीबी के एनपीए और वसूली में क्षेत्रीय संचलन

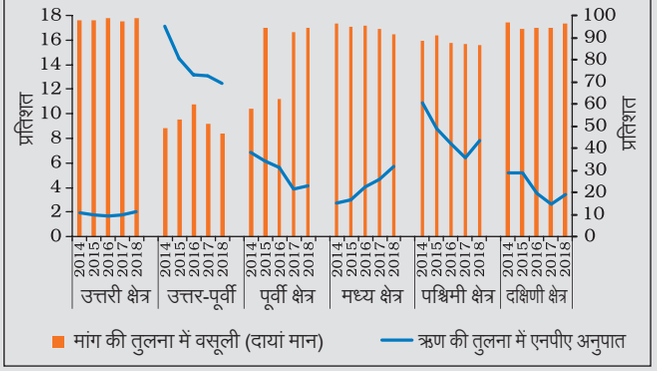

टिप्पणी : रिंग का विस्तार एसटीसीबी की गिरती वित्तीय सेहत को दर्शाता है। वित्तीय सेहत को एनपीए अनुपात द्वारा दर्शाया गया है।
स्रोत : नाबार्ड।

सारणी V.17: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत में		घट-बढ़ (%)	
	2017	2018	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	18,674	19,693	13.3	5.5
	(3.6)	(3.7)		
2. आरक्षित निधियां	19,766	20,931	13.1	5.9
	(3.9)	(3.9)		
3. जमाराशियां	3,30,904	3,47,967	11.0	5.2
	(65.4)	(66.2)		
4. उधारियां	91,438	90,312	9.3	-1.2
	(18.0)	(17.1)		
5. अन्य देयताएं	44,698	46,254	5.4	3.5
	(8.8)	(8.8)		
आस्ति				
1. नकद और बैंक में जमाशेष	32,874	27,230	41.2	-17.2
	(6.5)	(5.1)		
2. निवेश	1,84,634	1,84,883	14.5	0.1
	(36.5)	(35.2)		
3. ऋण और अग्रिम	2,52,655	2,77,079	4.1	9.7
	(49.9)	(52.7)		
4. अन्य आस्तियां	35,317	35,965	15.0	1.8
	(6.9)	(6.8)		
कुल देयताएं/आस्तियां	**5,05,480**	**5,25,157**	**10.3**	**3.9**
	(100.00)	**(100.00)**		

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं / आस्तियों का प्रतिशत हैं।
2. वर्ष दर वर्ष घट-बढ़ थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को सारणी में ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकित कर दिया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत : नाबार्ड।

आवश्यकताएं तथा ब्याज आय में धीमी वृद्धि इसके मुख्य कारण थे (सारणी V.18)।

आस्ति गुणवत्ता

V.50 वर्ष 2017-18 में डीसीसीबी की आस्ति गुणवत्ता में और गिरावट आई। यद्यपि, अवमानक और संदिग्ध आस्तियों की वृद्धि में मामूली गिरावट आई, लेकिन वे उच्च स्तर पर ही बनी रहीं (सारणी V.19)। आस्ति गुणवत्ता में गिरावट विभिन्न राज्य सरकारों[13] द्वारा घोषित कृषि ऋण माफी के कारण है। साथ ही, इस अवधि के दौरान दक्षिणी क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में डीसीसीबी के मांग की तुलना में वसूली अनुपात में गिरावट आई (चार्ट V.20)।

सारणी V.18: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	के दौरान		घट-बढ़ (%)	
	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5
ए. आय (i+ii)	**38,546**	**39,437**	**4.9**	**2.3**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. ब्याज आय	36,592	37,669	5.5	2.9
	(94.9)	(95.5)		
ii. अन्य आय	1,954	1,768	2.8	-9.5
	(5.0)	(4.6)		
बी. व्यय (i+ii+iii)	**37,636**	**38,587**	**5.9**	**2.5**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. व्यय किया गया ब्याज	26,849	26,788	7.2	-0.2
	(71.3)	(69.4)		
ii. प्रावधान और आकस्मिक निधियां	3,020	3,476	3.4	15.1
	(8.0)	(9.0)		
iii. परिचालन आय	7,767	8,323	2.6	7.2
	(20.6)	(21.5)		
जिसमें: वेतन बिल	4,980	5,222	4.2	4.9
	(13.2)	(13.5)		
सी. लाभ				
i. परिचालन लाभ	3,331	3,812	-17.5	14.4
ii. निवल लाभ	910	850	-18.2	-6.6

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों का प्रतिशत हैं।
2. वर्ष दर वर्ष घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती हैं क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को सारणी में ₹1 करोड़ में राउंड ऑफ किया गया है।
3. राउंड ओफ के कारण घटक कुल में नहीं जुड़ सकते हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

V.51 डीसीसीबी का एनपीए अनुपात एवं मांग की तुलना में वसूली अनुपात लगातार एसटीसीबी की अपेक्षा क्रमशः ज्यादा और कम रहा है (चार्ट V.21ए)। डीसीसीबी के पोर्टफोलियो में कृषि ऋण का हिस्सा एसटीसीबी की अपेक्षा अधिक है; क्योंकि उनके तुलन पत्रों पर कृषि की कीमतों और उपज में अस्थिरता का प्रभाव पड़ता है। डीसीसीबी की जिला स्तरीय मौजूदगी की बदौलत उनके समग्र व्यय में परिचालन व्यय का हिस्सा एसटीसीबी की अपेक्षा अधिक है, जिसके लिए स्टाफ पर अधिक लागत लगती है।

3.1.3 *प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस)*

V.52 पीएसीएस अल्पावधि सहकारी संस्थाओं का तीसरा स्तर है। कृषि ऋण प्रदान करने के अलावा, वे कृषि संबंधी वस्तुओं की आपूर्ति, उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण

[13] 2017-18 के दौरान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकार ने किसानों के लिए कर्ज माफी की घोषणा की।

सारणी V.19: सुदृढ़ता संकेतक: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत में		घट-बढ़ (%)	
	2017	2018	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5
ए. कुल एनपीए (i+ii+iii)	**26,414**	**30,894**	**16.3**	**17.0**
i. अवमानक	11,982	15,094	26.3	26.0
	(45.3)	(48.8)		
ii. संदिग्ध	12,040	13,232	10.1	9.9
	(45.5)	(42.8)		
iii. हानि	2,392	2,568	4.3	7.4
	(9.0)	(8.3)		
बी. ऋणों की तुलना में एनपीए अनुपात (%)	**10.5**	**11.2**	-	-
सी. मांग की तुलना में वसूली अनुपात (%)	**78.9**	**71.1**	-	-

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल एनपीए का प्रतिशत हैं।
2. वर्ष दर वर्ष घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती हैं क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को सारणी में ₹1 करोड़ में राउंड ऑफ किया गया है।
3. राउंड ऑफ के कारण घटक कुल में नहीं जुड़ सकते हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

और अपने सदस्यों के लिए उपज के विपणन की व्यवस्था भी करते हैं।

V.53 पीएसीएस के समेकित तुलन पत्र के देयता पक्ष – जमा और उधार दोनों - में 2017-18 में तेजी से गिरावट आई (परिशिष्ट सारणी V.5)। आस्ति पक्ष में, मुख्य रूप से अल्पावधि ऋणों में संकुचन और दीर्घावधि अग्रिमों में कमी की वजह से ऋण में गिरावट आई। पीएसीएस के कुल ऋण में कृषि ऋण का हिस्सा 54.9 प्रतिशत है (परिशिष्ट सारणी V.6)।

V.54 वर्ष 2017-18 में पीएसीएस को लाभ से ज्यादा हानि हुई। कुल हानि में दक्षिणी क्षेत्र का लगभग दो-तिहाई से ज्यादा हिस्सा था (परिशिष्ट सारणी V.6)।

V.55 पीएसीएस केवल अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करते हैं और इसलिए सदस्य की तुलना में उधारकर्ता अनुपात ऋण के एक्सेस एवं उसकी मांग हेतु एक उपयोगी संकेतक है। 2017-18 के दौरान, यह अनुपात 2016-17 के 39.6 प्रतिशत से गिरकर 38.8 प्रतिशत हो गया। अनुपात में गिरावट विशेष रूप से एसटी सदस्यों के मामले में ज्यादा थी (परिशिष्ट सारणी V.7)।

4. दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

V.56 दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं में राज्य स्तर पर परिचालन कर रहे राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) और जिला/ब्लॉक स्तर पर परिचालन कर रहे प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) शामिल हैं। ये संस्थाएं पूंजी हेतु दीर्घावधि ऋण की व्यवस्था करते हुए कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। मार्च 2018 के अंत तक, देश भर में 13 एससीएआरडीबी और 601 पीसीएआरडीबी थे।

चार्ट V.20: डीसीसीबी: क्षेत्रीय प्रवृत्तियां

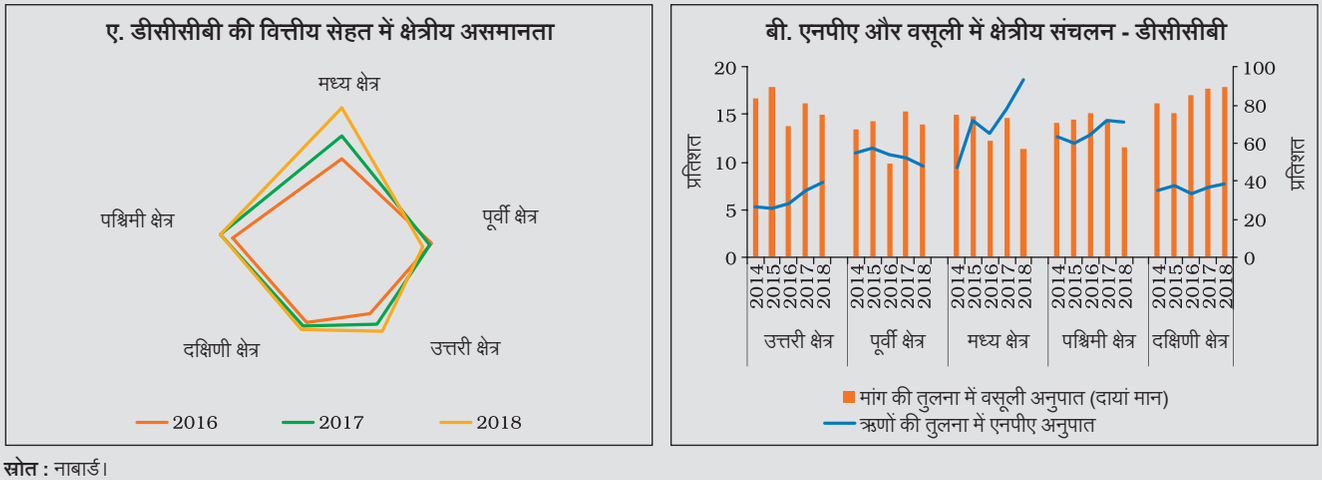

स्रोत : नाबार्ड।

चार्ट V.21: एसटीसीबी *बनाम* डीसीसीबी

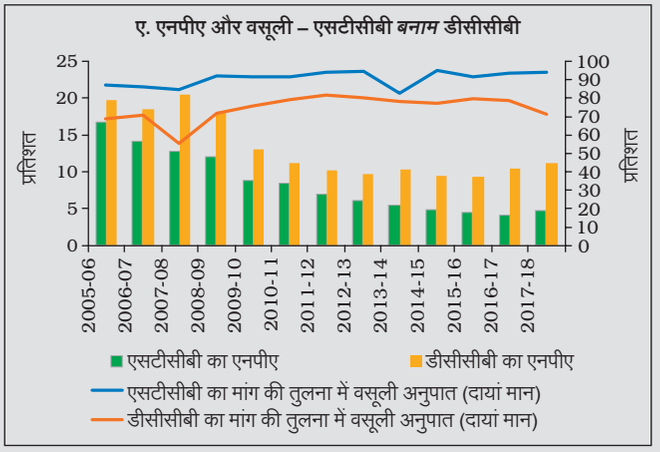

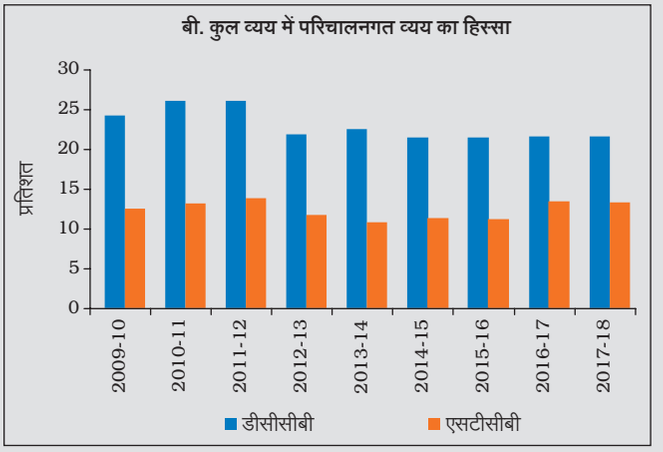

स्रोत : नाबार्ड।

4.1 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी)

V.57 एससीएआरडीबी का समेकित तुलन पत्र गत वर्ष के विस्तार के विपरीत 2017-18 के दौरान संकुचित हुआ (परिशिष्ट सारणी V.8)। एससीएआरडीबी ने लगातार दूसरे वर्ष निवल हानि दर्ज की (परिशिष्ट सारणी V.9)। आस्ति गुणवत्ता, जिसे एनपीए अनुपात के संदर्भ में मापा जाता है, भी घटा (परिशिष्ट सारणी V.10)। राज्यों में केरल ने सर्वाधिक वसूली दर और निम्नतम एनपीए अनुपात बनाए रखा, जबकि हरियाणा में उच्चतम एनपीए अनुपात था (परिशिष्ट सारणी V.11)।

4.2 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी)

V.58 वर्ष 2017-18 में पीसीएआरडीबी का तुलन पत्र कमजोर हुआ जिसमें 2016-17 में बहाली के संकेत दिखाई दिए थे (परिशिष्ट सारणी V.12)। पीसीएआरडीबी ने गत वर्ष की परिचालन हानि के विपरीत परिचालन व्यय में कमी की वजह से परिचालन लाभ दर्ज किया (परिशिष्ट सारणी V.13)। एससीएआरडीबी की भांति, पीसीएआरडीबी का एनपीए अनुपात भी कम हुआ (परिशिष्ट सारणी V.14)।

5. समग्र आकलन

V.59 वर्ष 2018-19 यूसीबी के लिए आस्ति गुणवत्ता और प्रावधान कवरेज अनुपात में सुधार के साथ तुलन-पत्र के सुदृढ़ीकरण और विस्तार का वर्ष रहा। इस सुधार के मुख्य कारण सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा इस क्षेत्र के कार्य-निष्पादन और वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपाय थे। हाल में एक यूसीबी में अनियमितताओं का पता लगाया गया, जिससे कम पूंजी आधार, कमजोर कॉर्पोरेट अभिशासन, धोखाधड़ी को रोकने में असमर्थता, नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में विलंब एवं नियंत्रण और संतुलन की अपर्याप्त व्यवस्था से संबंधित मुद्दे सामने आए। यूसीबी को आगे इन अड़चनों से बाहर निकलने की जरूरत है। एक समान विनियामकीय एवं पर्यवेक्षी संरचना के अंतर्गत एक छत्र संगठन की स्थापना को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की जरूरत है, जो चलनिधि और पूंजी सहायता प्रदान करेगा तथा आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य क्षमता और कौशल निर्माण सुविधाओं का लाभ उठाकर उसके प्रसार को बढ़ावा देगा।

V.60 भविष्य को देखते हुए, सहकारी क्षेत्र के सामने दो चुनौतियां हैं, पहली, एससीबी से ही नहीं बल्कि लघु वित्त बैंकों

और भुगतान बैंकों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, और दूसरी, धोखाधड़ी को रोकने में असमर्थता के साथ आंतरिक कमजोरियों से पनपती संवेदनशीलता। यद्यपि यह क्षेत्र वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र का केवल 10.6 प्रतिशत ही है, घरेलू स्तर पर इसकी अवस्थिति का प्राधान्य, इसके बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन के दायरे और देश भर में इसकी व्यापक उपस्थिति को देखते हुए, विशेष रूप से निचले स्तर के टियर वाले शहरों और गांवों में, वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से इसे मजबूत करने की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। इस महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर, कॉर्पोरेट अभिशासन को उन्नत करने और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से सुधार करने की आवश्यकता है।